

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 915/2024**

IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR

...APPLICANT(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY BY RESPONDENT NO. 7 TO THE REJOINDER FILED BY THE APPLICANT ALONG WITH THE CURRENT STATUS REPORT IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 10.07.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DLEHI	
2.	THE COPY OF FINAL SURVEY AND DEMARCATION REPORT IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	THE PHOTOGRAPHS OF THE DEMARCATION OF THE VILLAGES IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	THE COPIES OF SHOW CAUSE NOTICES	

	ARE ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	THE PHOTOGRAPHS OF THE DEMARCATION OF FOREST LAND IN VILLAGE AKBARPUR SUNHETI IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-4	
6.	A COPY OF THE LETTER IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-5	
7.	A COPY OF THE EVICTION ORDERS ARE ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-6	
8.	THE PHOTOGRAPHS OF THE SITUATION ON GROUND IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-7	
9.	A COPY OF THE AFFIDAVITS PROVIDED BY THE ENCROACHERS IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-8	
10.	THE PHOTOGRAPHS OF THE REMOVAL OF ENCROACHMENT IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-9	
11.	THE SATELLITE PHOTOGRAPHS IN COMPARISON TO 2012 TO PRESENT ARE ANNEXED HERewith AND MARKED AS	

	ANNEXURE-10	
12.	A COPY OF THE SITE SPECIFIC PLANS IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-11	
13.	THE PHOTOGRAPHS OF THE PLANTATION ARE ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-12	
14.	A COPY OF THE LETTER STATING THE TIMELINE ISSUED BY THE DM AND THE FORMATION OF THE NEW INSPECTION TEAM IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-13	

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON
 COUNSEL FOR RESPONDENT NO. 7
bhanwar09jadon@gmail.com | 6375115224

DATE: 07/10/2025
PLACE: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 915/2024



IN THE MATTER OF:
AMIT KUMAR

...APPLICANT(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENT(s)

REPLY BY RESPONDENT NO. 7 TO THE REJOINDER FILED BY THE
APPLICANT ALONG WITH THE CURRENT STATUS REPORT IN
COMPLIANCE OF ORDER DATED 10.07.2025 PASSED BY THE
HON'BLE NATONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW
DLEHI

I, Jagdev Singh, aged about 59 years, S/o Shri Late Badri Prasad, Posted as Divisional Forest Officer, Shamli, State of U.P., do hereby most solemnly state and affirm as under:

1. That I, Jagdev Singh, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.



FACTUAL BACKGROUND OF THE CASE

2. That in the present matter the Petitioner has alleged rampant deforestation and illegal encroachment by farmers on reserved forest located in 7 villages i.e. Bibipur Jalalabad, Paoti Khurd, Dabhedi, Bibipur Hatia, Barnawi, Akbarpur Sunheti and Rataund of Shamli District, Uttar Pradesh.
3. That it is submitted before the Hon'ble Tribunal that the survey of the forest land has been carried out and completed by the officials in coordination with the Revenue Department. **The work of survey and demarcation of 541.2753 hectares of forest land (590 khasara no.s) has been completed by the officials and the encroachment of 24.5913 hectares has been identified.**

The copy of final survey and demarcation report is annexed herewith and marked as ANNEXURE-1.

The photographs of the demarcation of the villages is annexed herewith and marked as ANNEXURE-2.

4. That it is submitted that the Forest department has duly removed the encroachment of 11.4402 hectares. Thereafter, for the removal of encroachment from the remaining forest land of 13.1511 hectares, 66 *khasra* (215 permanent constructions approximately), show cause



notices have been issued by the Forest Department to the encroachers giving them 15 days' time to show cause as to why the encroachment shall not be removed by the Forest Department.

The copies of show cause notices are annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3.**

5. That the work of removal of the remaining encroachment is being carried out expeditiously in order to ensure timely compliance of the directions issued by the Hon'ble Tribunal, and in compliance of the provisions provided under the environmental laws with the help of local administration.

PARA-WISE REPLY

6. That the contentions made in paragraph 1 by the Applicant are vehemently denied. The Applicant has made baseless arguments and contentions against the answering Respondent. The answering Respondent assures that no fact has been knowingly concealed from the Hon'ble Tribunal.

7. That the assertions in paragraph 2 need no reply from the answering Respondent.



8. That the contentions made in paragraph 3 by the Applicant are denied.

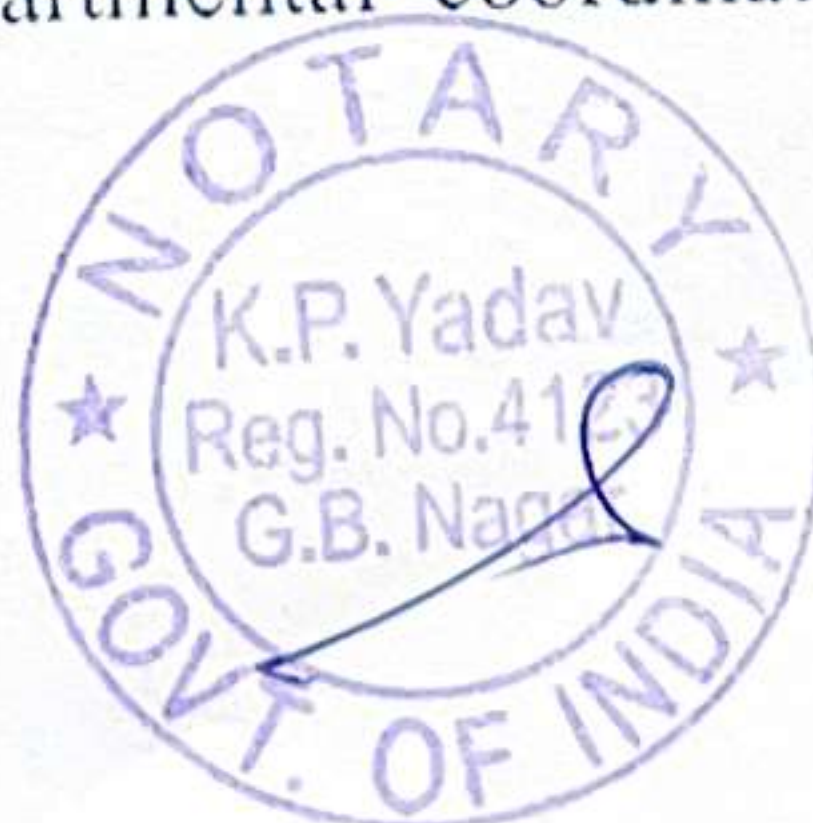
i. It is most humbly submitted that the Forest Department has not, at any point, denied the existence of Forest land in village Akbarpur Sunheti, nor has this village been excluded from the scope or schedule of the joint demarcation exercise undertaken by the Forest Department in coordination with the Revenue Department.

ii. That the Village *Akbarpur Sunheti* formed part of the active and operational ambit of the joint survey, which has now been duly completed. It is submitted that in village *Akbarpur Sunheti*, the forest land comprises of 64 *khasara* i.e. 35.9393 hectares which has been duly surveyed and demarcated by the Department.

The photographs of the demarcation of forest land in village Akbarpur Sunheti is annexed herewith and marked as ANNEXURE-4.

9. That the averments made in paragraph 4 are vehemently denied.

i. It is humbly submitted that the tentative timeframe of 12 weeks, as previously mentioned for joint demarcation, was indicative and subject to inter-departmental coordination. The delay in



execution arose primarily due to the non-availability and administrative limitations of the concerned Revenue officials, whose participation is mandatorily required for lawful and appropriate demarcation of forest land.

- ii. That subsequent to detailed deliberations and coordination with the Revenue Department, a revised and practicable timeline of 25 weeks (i.e., 177 days) was formally approved and issued by the District Magistrate, Shamli (*as mentioned in the previous Affidavit of the answering Respondent at point no. 23; judicial page no. 114*). Furthermore, a new dedicated team comprising Revenue officials was constituted to carry out the demarcation exercise in an effective and time-bound manner.
- iii. **That it is further submitted that the Forest Department and the Revenue Department have, at present, surveyed and demarcated all 590 out of 590 khasras of the forest land.**
- iv. In pursuance of the provisions of the Indian Forest Act, 1927, legal proceedings have been initiated as follows-
- v. Under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927, an H-2 case has been duly instituted in respect of 8.7639 hectares, and the requisite legal proceedings are presently underway in



accordance with law.

- vi. In respect of forest land notified under Section 20 of the Act, an H-2 case has also been instituted for 4.3872 hectares, and proceedings under Section 61B are presently in progress
- vii. Furthermore, eviction orders under Section 61B have been duly issued in respect of an area measuring 0.1262 hectares (out of 4.3872 hectares) pertaining to the land notified under Section 20 of the Indian Forest Act, 1927. A letter has also been addressed to the Sub-Divisional Magistrate, Kairana, requesting necessary action for removal of encroachment from the said forest land.

A copy of the letter is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-5.**

A copy of the eviction orders are annexed herewith and marked as **ANNEXURE-6.**



S. N.	Total number of <i>khassas</i> of the forest land mentioned in OA 915/2024 & others	Total area of forest in 590 <i>Khassra</i> number (in ha)	Total number of <i>khassra</i> surveyed	Total encroachment found (in ha)	Total encroachment removed (in ha)	Total remaining encroachment (in ha)	Action taken by the Forest Department for removal of encroachment from 13.1511 ha
1.	590 526 (Total area 505.336 hectare)	1-541.2753 hectare (Total forest land u/s 20 of IFA in total 166 <i>khassra</i> is 241.565 ha) (Total forest land u/s 4 of IFA in total 424 <i>khassra</i> is 299.7103 ha)	590	24.5913	11.4402	13.1511	In pursuance of the provisions of the Indian Forest Act, 1927, legal proceedings have been initiated as follows: 1. Under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927, an H-2 case has been duly instituted in respect of 8.7639 hectares, and the requisite legal proceedings are presently underway in accordance with law. 2. In respect of forest land notified under Section 20 of the Act, an H-2 case has also been instituted for 4.3872 hectares, and proceedings under Section 61B are presently in progress for the included area of 0.1262 hectares. 3. Furthermore, eviction orders under Section 61B have been duly passed in relation to an area measuring 0.1262 hectares.
	Akbarpur sunchti 64 (Total area 35.9393 hectare)						



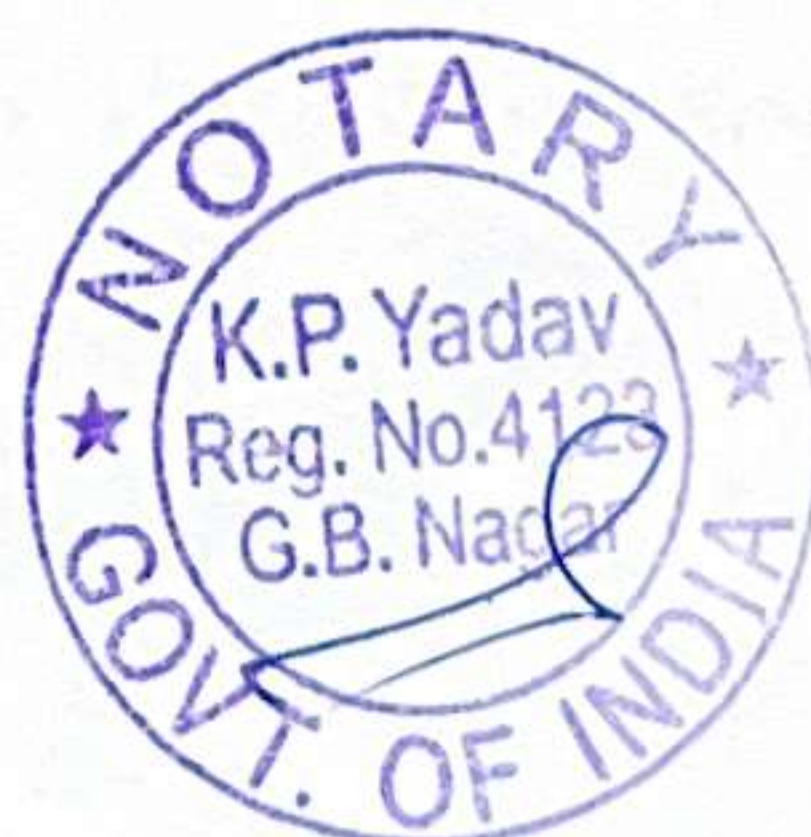
10. That the assertions made by the Applicant in paragraph 5 are denied.

- i. The Forest Department has submitted factually verified data through affidavits dated 25.02.2025 and 24.05.2025. The figure of 3.7748 hectares reflects the actual encroachment removed, based on ground verification carried out at that time.
- ii. That it is submitted that on the further survey of land subsequent to the Affidavit dated 25.02.2025 no new encroachment was found on the forest land by the Forest Department. Hence, the data provided regarding the removal of encroachment remained same.
- iii. Eviction efforts are ongoing subsequent to the completion of the survey and demarcation of the forest land by the officials. Prompt efforts are being made by both the departments to ensure full compliance with the directions issued by the Hon'ble Tribunal.

The photographs of the situation on ground is annexed herewith and marked as ANNEXURE-7.

11. That the contentions made by the Applicant in paragraph 6 are denied.

- i. It is submitted that reliable and verifiable evidence, including

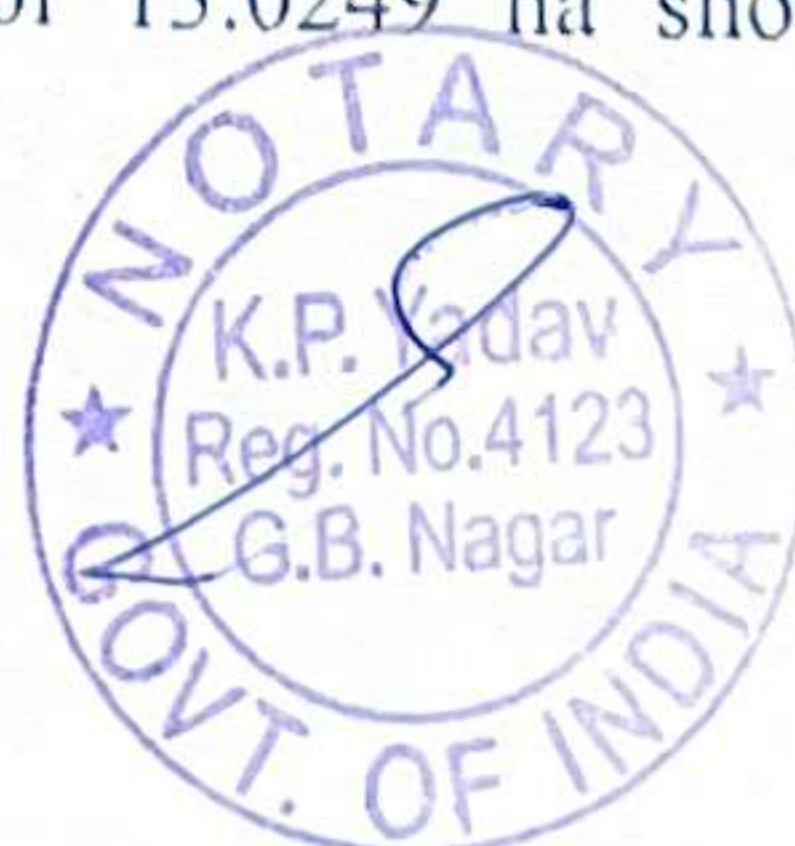


GPS-tagged photographic documentation, has been placed on record to substantiate the removal of approximately 3.7748 hectares of encroachment, as stated in the previous Forest Department's affidavits.

- ii. That it is most humbly submitted that at the time of filing the previous Affidavit, the affidavits provided by the encroachers were inadvertently left out with the previous affidavit.

A copy of the affidavits provided by the encroachers is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-8**.

- iii. That at present, it is submitted that the total encroachment found during the survey of the complete 590 *khasara* (541.2753 ha) was approximately 24.5913 ha. Out of which temporary encroachment was about 11.4402 ha and the encroachment on the forest land with permanent construction was approximately 13.1511 (including 0.1262 ha). The temporary encroachments from 11.4402 ha land have been completely removed. Furthermore, for the removal of permanent encroachment from 13.1511 ha, 0.1262 ha land eviction notices have been issued to the encroachers by the answering Respondent, and for the remaining encroachment of 13.0249 ha show cause notices



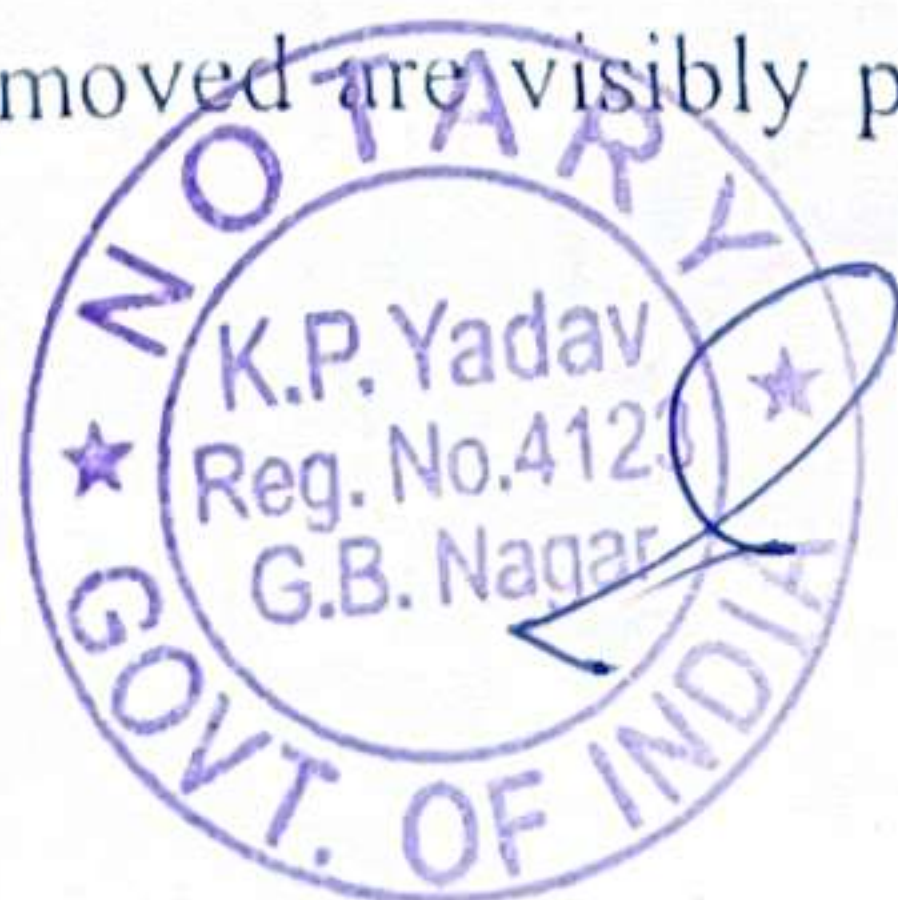
have been issued to the encroachers. The process is on-going following the due procedure of law and the principal of natural justice.

The photographs of the removal of encroachment is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-9**.

- iv. Furthermore, it is stated that the aforementioned data with regards to the encroachment found during the survey and demarcation of the forest land has been clearly specified by the answering Respondent in their previous Affidavit as well dated 24.05.2025; *point no. 10 judicial page no. 108*.

12. That averments made by the Applicant in paragraph 7 are hereby denied to the extent they are inconsistent with the submissions of the answering respondent.

- i. It is respectfully submitted that the Shamli Forest Division was constituted in the year 2012. Prior to that, it was a part of Muzaffarnagar social forestry division, and satellite imagery through platforms such as Google Earth has been made available approximately since that time. The encroachments recently removed are visibly present in satellite imagery dated



2012, indicating that these encroachments predate both the formation of the current administrative setup and the availability of digital monitoring tools.

The satellite photographs in comparison to 2012 to present are annexed herewith and marked as **ANNEXURE-10**.

- ii. Over the years, several officers and field staff have been posted in the affected areas under routine administrative transfers. Given the significant time lapse and rotation of personnel, it is neither practical nor legally tenable to attribute specific individual responsibility for the historical encroachments at this stage.
- iii. However, in compliance with the directions of this Hon'ble Tribunal in the present matter, the presently posted officials and field personnel are actively engaged in identifying and removing such long-standing encroachments as part of a continuous corrective exercise.

13. That the contentions made by the Applicant in paragraph 8 are vehemently denied.

- i. The Department relies on satellite data from 2012 onwards, and in the absence of earlier photographic or official records, inputs



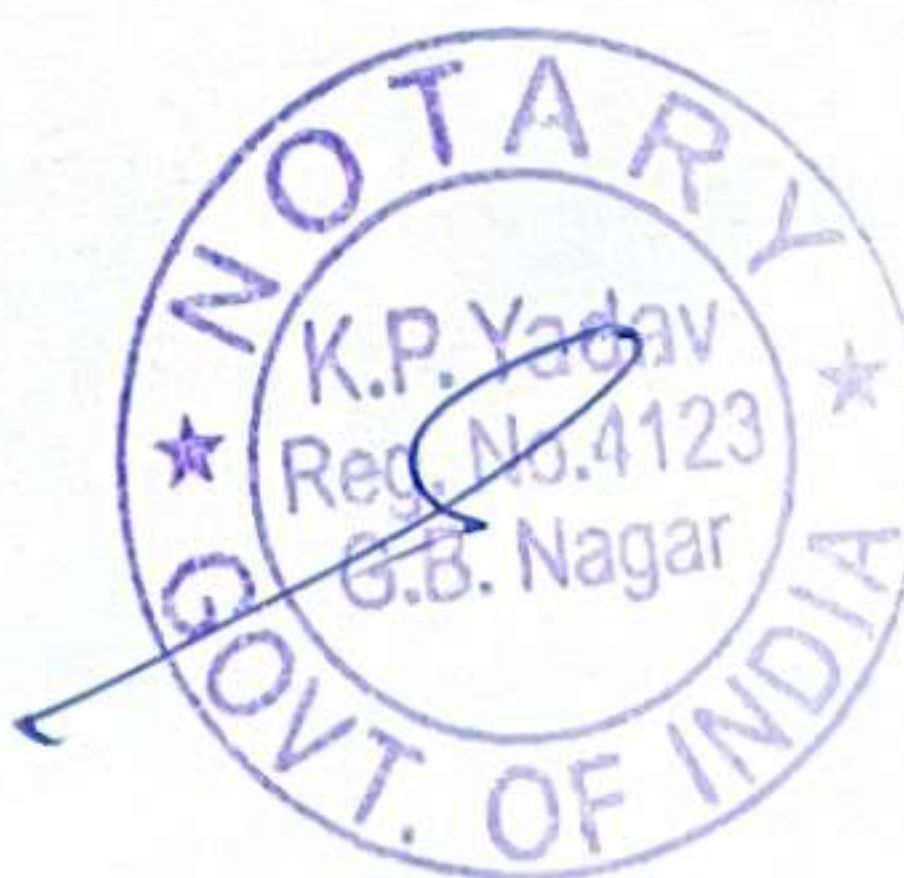
from local stakeholders form a critical part of factual reconstruction. It is noteworthy that the Gram Pradhan, who represents the first constitutional executive unit at the grassroots level under the Panchayati Raj system and is a permanent resident of the village in question, has provided credible information based on longstanding local knowledge.

- ii. The petitioner, on the other hand, *prima facie* appears to dismiss all inputs while claiming exclusive correctness, which undermines the credibility and objectivity of his assertions. The allegations made by the Applicant are false and holds no merit. Furthermore, the allegations made by the Applicant are not supported by any substantial evidences.

14. That the contents of paragraph 9 of the rejoinder warrant no specific response, being self-explanatory and matters of record.

15. That the contentions made in paragraph 10 by the Applicant are denied.

The exercise of the survey and demarcation of the forest land is completed.



16. That contentions made by the Applicant in paragraph 11 are categorically denied at the outset.

- i. The Forest Survey of India (FSI) employs Indian Remote Sensing (IRS) satellite technology, which is a scientifically reliable and internationally recognized geospatial tool used for forest mapping and monitoring.
- ii. While FSI data may not denote the legal classification of land (such as 'Reserved Forest'), it accurately captures land use and vegetation cover, making it highly relevant for macro-level assessments of forest change, including indications of encroachment. The Applicant's dismissal of this expert-sourced data is wholly unfounded and lacks any technical basis. Such unwarranted rejection of authoritative evidence raises questions about the credibility of the Applicant himself.
- iii. It is respectfully submitted that data generated by the Forest Survey of India is regularly relied upon by the Hon'ble Supreme Court of India and this Hon'ble Tribunal in various environmental and forest-related proceedings. Its credibility cannot be impugned merely on the strength of vague and unsupported allegations made by the Applicant, who appears



unfamiliar with the technical application and relevance of satellite-based forest data.

17. That the averments in paragraph 12 are misconceived and hence not accepted.

- i. It is respectfully submitted that the afforestation activities scheduled for July 2025 have been duly undertaken. Site-specific plans were prepared and implemented at the identified locations. The plantations have been carried out at 6.0746 ha of forest land during the monsoon season have been geo-tagged and documented with GPS-enabled photographic evidence, thereby ensuring transparency, traceability, and proper record-keeping. It is further submitted that the plantation/afforestation was executed in accordance with the prescribed scientific procedure during the monsoon period.

A copy of the site specific plans is annexed herewith and marked as ANNEXURE-11.

- ii. That it is submitted that with the commencement of the monsoon season, the work of plantation/afforestation has



been duly completed by the Forest Department at the identified locations.

The photographs of the plantation are annexed herewith and marked as ANNEXURE-12.

- iii. Furthermore, a structured survival monitoring mechanism will be implemented to assess post-plantation performance and enable timely corrective interventions wherever necessary. The Department remains committed to ensuring a meaningful and measurable increase in forest cover, as substantiated by the Forest Survey of India (FSI) Report, 2023, published in December 2024.
- iv. That it is submitted that for the remaining forest land measuring 5.3656 hectares, trenches have been dug, and pits will be dug in February 2026, with plantation to be carried out in July 2026, as per the prescribed forestry procedures.

18. That the averments made in paragraph 13 by the Applicant are categorically denied.

- i. That the department has consistently pursued the matter of



cooperation by the revenue department to ensure expeditious survey and demarcation of the forest land. The challenges arising due to the non-availability and administrative constraints of the concerned Revenue officials have already been duly brought to light through multiple official correspondences with the Revenue Department. The work of survey and demarcation falls within the jurisdiction of the Divisional Forest Officer at the district level. There is no requirement for intervention at the level of the Principal Chief Conservator of Forests.

- ii. Consequently, the District Magistrate, Shamli, had issued a revised and practicable timeline for the demarcation process, and a new dedicated team was constituted by the Revenue Department to ensure that the demarcation work and identification of encroachment is undertaken with the required seriousness and completed within the stipulated timeframe i.e. 25 weeks which has already been achieved.

A copy of the letter stating the timeline issued by the DM and the formation of the new inspection team is annexed herewith and marked as ANNEXURE-13.

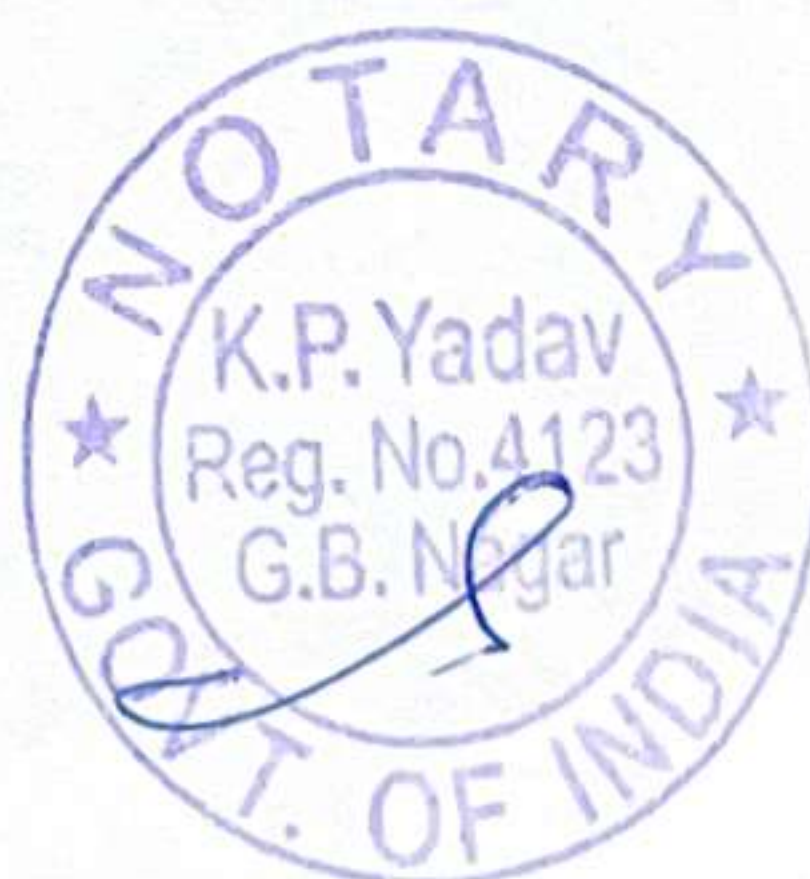


19. That it is most humbly submitted before this Hon'ble Tribunal that the Forest Department has been undertaking the removal of encroachments with utmost sincerity, and all necessary and appropriate actions are being carried out in this regard. The encroachment shall be removed following the due procedure of law, subject to the essential assistance required by the District Administration during the encroachment removal process to ensure the maintenance of peace.

20. That the Department remains fully committed to complying with the directions issued by this Hon'ble Tribunal in their true letter and spirit. It is further submitted that no facts or data have been concealed by the Department.

21. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

22. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.





DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Shamli on this ___ day of 07/10/, 2025, that
 the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 21 are
 believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief.
 No part of it is false and nothing material has been concealed
 therefrom.



DEPONENT



प्रभागीय वनाधिकारी
 शामली क्व. ब्लाक
 शामली



ATTESTED
 K.P. YADAV
 NOTARY PUBLIC

7 OCT 2025

Final Survey and Demarcation Report

Annexure-1

396

30/09/25

ग्राम का नाम	कुल खसरा संख्या	खसरो का रकबा (है० मी)	कुल अतिक्रमण (है०)	कुल खाली कराया गया अतिक्रमण (है०)	अवशेष अतिक्रमण (है०)		अभियुक्ति
					घात-4	घात-20	
रतौद	43	52.906	2.5272	1.0472	1.48 है० आबादी (खसरा नम्बरान-04)	-	H-2 केम इन्फ कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। 0.29 है० रास्ते (खसरा नम्बरान-02)
पावटी खुर्द	96	127.566	2.2564	2.1464	-	0.11 है० आबादी (खसरा नम्बरान-02)	H-2 केम इन्फ कर IFA 1927 के अंतर्गत 61(b) की कार्यवाही की जा रही है। 1.339 है० रास्ते (खसरा नम्बरान-11)
बरगावी	180	117.778	5.9660	1.4590	4.4870 है० आबादी (खसरा नम्बरान-24)	-	H-2 केम इन्फ कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। 2.451 है० रास्ते (खसरा नम्बरान-07)
डीबीपुर हटीया	73	40.416	1.2260	0.5886	0.5374 है० आबादी (खसरा नम्बरान-02)	-	H-2 केम इन्फ कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। 0.414 है० रास्ते (खसरा नम्बरान-06)
अकबरापुर सुगहेली	64	35.9393	5.2005	2.9510	2.2085 है० आबादी (खसरा नम्बरान-15) (0.0410 धार्मिक स्थल)	-	H-2 केम इन्फ कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। 3.3760 है० रास्ते (खसरा नम्बरान-11)
दमेही कुजुर्ग	64	53.471	2.7719	2.7719	-	-	-
बीबीपुर जलजलाबाद	70	113.999	4.6533	0.3761	-	4.1790 है० आबादी (खसरा नम्बरान-10) (0.0962 धार्मिक स्थल नम्बरान-03)	H-2 केम इन्फ कर IFA 1927 के अंतर्गत 61(b) की कार्यवाही की जा रही है। 1.082 है० रास्ते (खसरा नम्बरान-03)
मोम	590	541.2753	24.5913	11.4402	8.7839	4.3872	
महापौर	590	541.2753	24.5913	11.4402	13.1511		

ICR
Jurnalgar
KCO, Um

Ref
महोदय
30/09/25
मोम

T2
महोदय

महोदय
कमल

↓
EMP
महोदय

महोदय
महोदय

महोदय
महोदय

Sumit Kumar
महोदय
(महोदय)

महोदय
(महोदय)

महोदय
महोदय

महोदय
महोदय

महोदय
महोदय

The photographs of the demarcation of the villages
Barnavi







400



Unnamed Road, Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Latitude

29.495481666666667°

Longitude

77.18340833333333°

Local 05:12:25 PM

GMT 11:42:25 AM

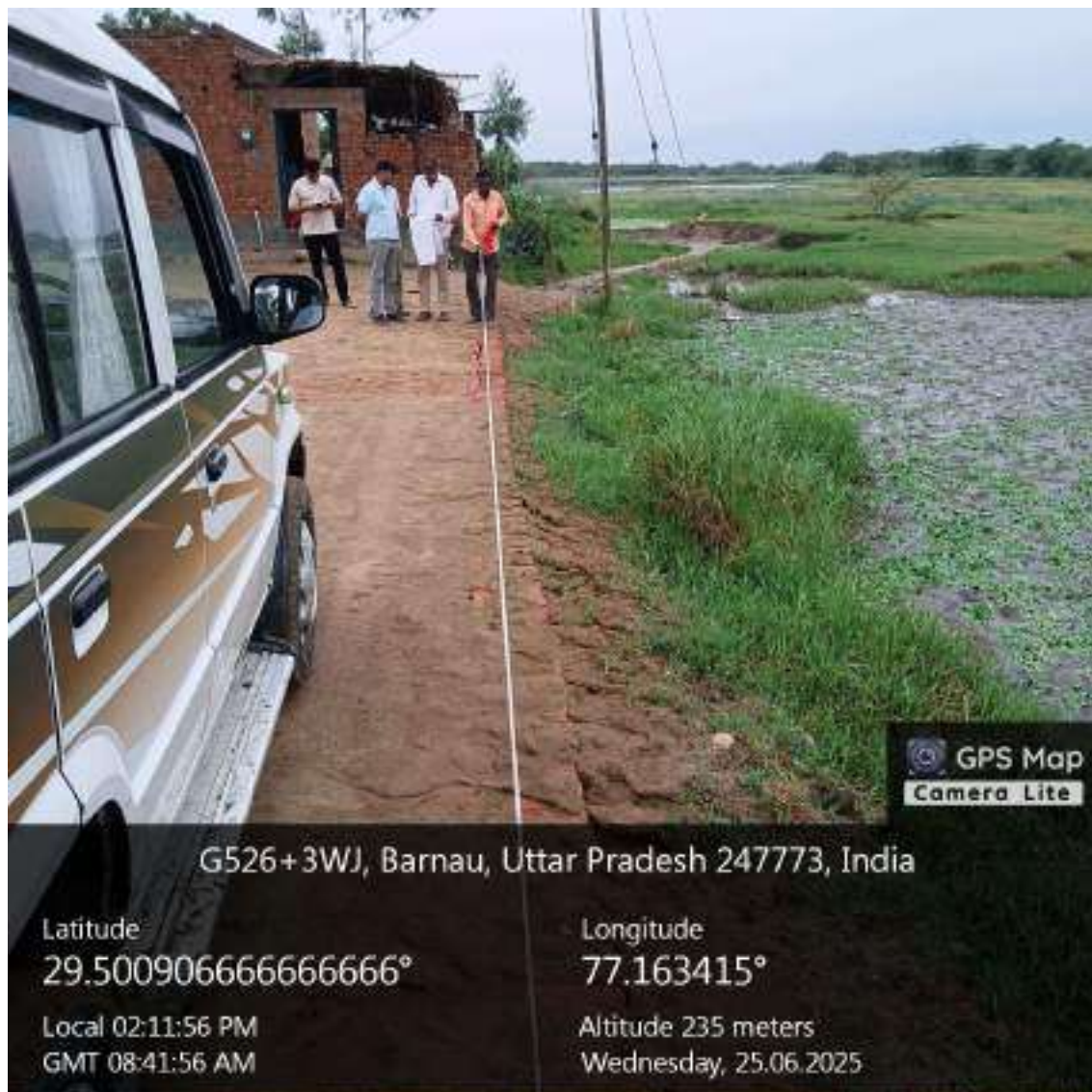
Altitude 236 meters

Tuesday, 01.07.2025

401



402



403





405





407

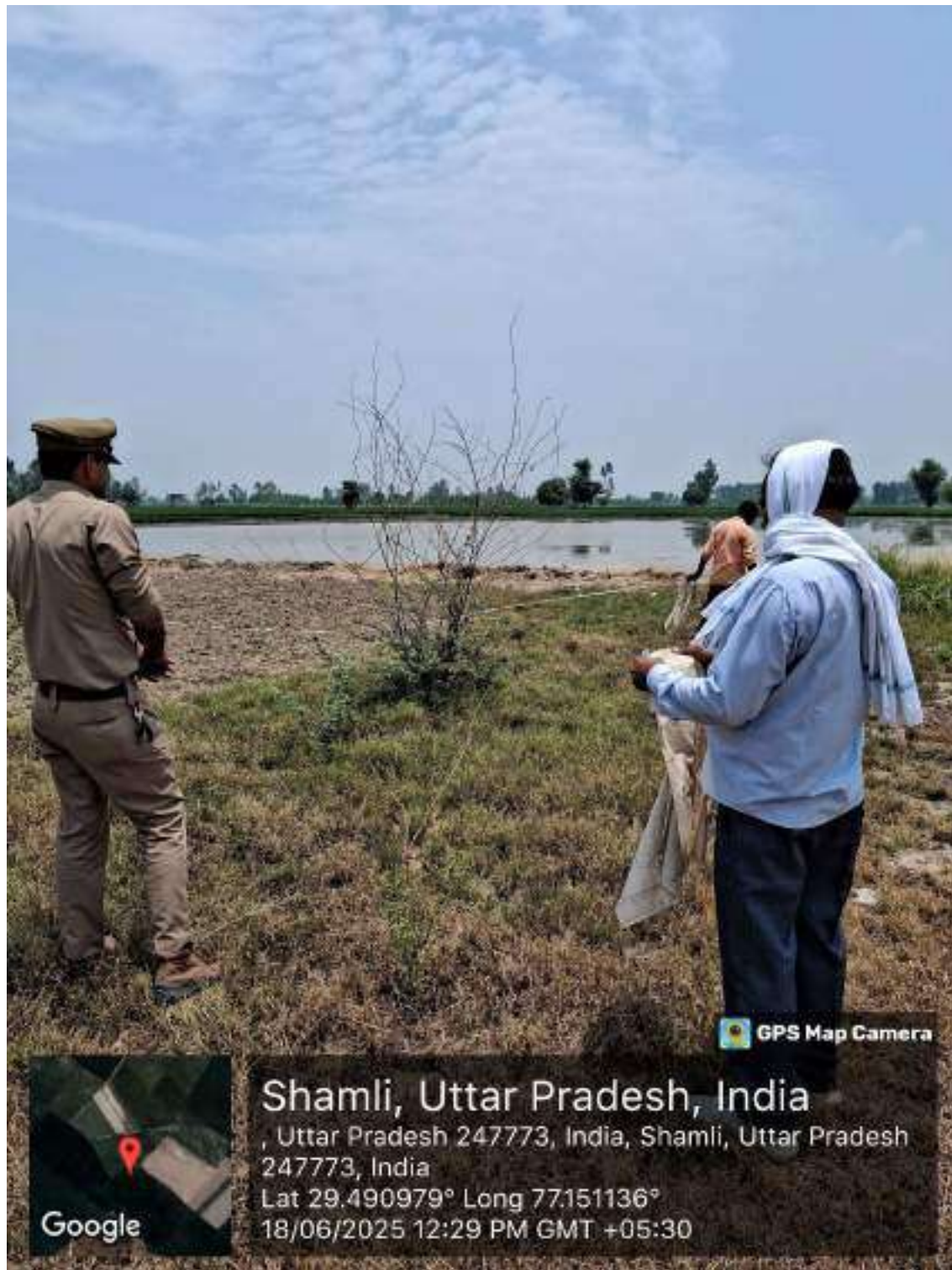
Akbarpur Sunehti







410





412

Bibipur Jalalbad











417

Bibipur Hatia









421



422

Paoati khurd



423



GPS Map Camera

Google

Bibipur Hatiya, Uttar Pradesh, India

G52r+r23, Bibipur Hatiya, Uttar Pradesh 247773, India

Lat 29.502135° Long 77.188544°

24/06/2025 01:41 PM GMT +05:30





GPS Map Camera



तिसंग, उत्तर प्रदेश, भारत

G5j4+4wp, तिसंग, उत्तर प्रदेश 247773, भारत

Lat 29.528795° Long 77.15708°

06/08/2025 11:48 AM GMT +05:30



GPS Map Camera

Asharafpur, Uttar Pradesh, India

G55g+x8p, Asharafpur, Uttar Pradesh 247773, India

Lat 29.510824° Long 77.174796°

27/08/2025 11:06 AM GMT +05:30

Google





429

Dabhedi bujurg



430







Ratond





435



436





भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... नन्द किशोर

पिता का नाम..... पिछौरा

पता..... मजरा शिवनगर गा० पंचायत बीबीपुर जलालाबाद थाना - डिंडाना नं० १० केरला जिला - शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA

915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक... 23/9/2025 को ग्राम..... बीबीपुर जलालाबाद

में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या... 138... में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है।

जिसमें रेंज केस संख्या... 30/25-26 दिनांक 21/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02.10.2025



संबंधित अधिकारी
डिंडाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... बिल्लू

पिता का नाम..... फूल सिंह

पता..... मजरा शिवनगर 2 गाँव पंचायत बीबीपुर जलालाबाद थाना - सिंडावा तहसील केराना जिला -
शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA

915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/9/2024 को ग्राम..... बीबीपुर जलालाबाद

में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या..... 130..... में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है।

जिसमें रेंज केस संख्या..... 030/25-26 दिनांक 01/10/24 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संलग्नक 1/4/25
 विद्वाना (शामली)



441

भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... हेरेंड

पिता का नाम..... देवी सिंह

पता..... झररा हिवनगर झररा पंचायत बीबीपुर भलालाबाप थाना-झिझाना तहसीला-शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2025 को ग्राम बीबीपुर भलालाबाप..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 138..... में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 30/2025-26 दिनांक 01/10/2025 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



सैबरन अधिकारी
झिझाना (शामली)



Edit with WPS Office

भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....मेधराऊ.....

पिता का नाम.....मलखान सिंह.....

पता.....मलखान शिवनगर, मध्य पंचायत, बीबीपुर, जलालाबाद, थाना-शिवनगर, कुराना जिला-शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2025 को ग्राम...बीबीपुर, जलालाबाद... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या...138...में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या...20/2025-26 दिनांक...21/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक-02-10-2025



मेधराऊ
शिवनगर (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... देवी सिंह

पिता का नाम..... कर्म सिंह

पता..... मजरा शिवनगर 2 गांव पंचायत बीबीपुर जलालाबाद थाना सिंझाना तहसील कैराना जिला शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2025 को ग्राम बीबीपुर जलालाबाद..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 138..... में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 30/2025-26 दिनांक 01/10/2024 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



सैक्सन अफिसर
सिंझाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... भूवर सिंह

पिता का नाम..... जिले सिंह

पता..... भूवर सिंह - धिवरगढ़ ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, भावा सिंझाना तहसील
जिला - शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/9/2025 को ग्राम बीबीपुर जलालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 138 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 80/25-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक:- 02/10/2025



सिंझाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... प्रदीप

पिता का नाम..... बेदु राम

पता..... मुजरा गिबनगर भा. पंचायत बीबीपुर जलालाबाद भावा - सिंडाना नं०
केशवा, जिला शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/9/2024 को ग्राम बीबीपुर जलालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 138 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 30/25-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



सिंडाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... भजनलाल

पिता का नाम..... फूल सिंह

पता..... मुरग - शिवनगढ़, ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद भागी सिंधाना तहसील केराना जिला शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA

915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/9/2024 को ग्राम..... बीबीपुर जलालाबाद

में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 138... में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है।

जिसमें रेंज केस संख्या 30/2025-26 दिनांक 11/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक-02-10-2025



सिबर सिंह
शिवनगढ़ (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... नाहर सिंह

पिता का नाम..... आशाराम

पता..... भजरा शिवनगा 2, मा. पंचानत बीबीपुर जलालाबाद, भाता-झिंझाना, रें. झराना
शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/9/2025 को ग्राम बीबीपुर जलालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 139/36 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 30/25-26 दिनांक 01/10/2025 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संवरन
सिंझाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....अंकुर.....

पिता का नाम.....सतपाल.....

पता मजरा शिवनगर गा० पेचापत कीलीपुर जलानाबाद थाना जिला त० बैराना जिला शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि **माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024** के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2025 को ग्राम कीलीपुर जलानाबाद..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 139..... में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 30/2025-26 दिनांक 01/10/2025 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप **15 दिवस** के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



सैक्यर अधिकारी
जलाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....^{११} श्री राजेन्द्र.....

पिता का नाम..... राजपाल.....

पता: मजरा: शिवनगर, २२१० पंचायत: श्रीवर्षपुर जलालाबाद थाना: झिझाना तहसील: झिझाना जिला: शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2025 को ग्राम: श्रीवर्षपुर जलालाबाद..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या: 139 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या: 39/2025-26 दिनांक 01/10/2025 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संस्थापक अधिकारी
झिझाना (शामली)
दिनांक 02/10/25



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... मंजय

पिता का नाम..... जीत सिंह

पता..... मंजरा शिवनगर, ग्राम पंचानन बीबीपुर जलालाबाद, भाता डिंडाना, तालुका केराना, जिला शाहदोल

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/9/2025 को ग्राम..... बीबीपुर जलालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या..... 144..... में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या..... 30/25-26..... दिनांक..... 01/10/25..... इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



(Signature)
संयोजक अभियंता
खिंडाना (शाहदोल)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....शुभाष.....

पिता का नाम.....ब्रजपाल.....

पता.....मुन्ना शिवतगढ़, ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, भागा-सिंझाना
सं. केरना जिला शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/9/2025 को ग्राम.....बीबीपुर जलालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या..144/136 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या..30/25-26 दिनांक..01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संस्थापक अधिकारी
सिंझाना (शामली)



452
भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... विबी दे

पिता का नाम..... जीत सिंह

पता..... माजडा शिवपुर, गा. पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, भावा-सिंझाना,
रा. केराना जिला शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/9/2025 को ग्राम..... बीबीपुर..... जलालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 144 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 30/25-26 दिनांक 21/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



विभागाध्यक्ष
सिंझाना (शामली)



Edit with WPS Office

भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... ओमपाल

पिता का नाम..... श्यामा

पता: मजरा: शिवनगर, भा. पंचायत, बीबीपुर, जलालाबाद थाना, सिवाना तहसील, जिला-शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/04/2025 को ग्राम बीबीपुर, जलालाबाद..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या...154...में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 30/2025-26 दिनांक 01/10/2025 खूजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक 20-10-2025



23/10/25
संयुक्त न्यायालय
जिला-शामली



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... सोमपाल

पिता का नाम..... शुभाभा

पता..... मन्तरा, शिवनगर, ग्राम पंचायत, श्रीवृषीपुर जलालाबाद थाना - झिझाना तहसील जिला शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2025 को ग्राम श्रीवृषीपुर जलालाबाद..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या...144...में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 30/2025-26 दिनांक 01/10/2025 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संवरण अधिकारी
झिझाना (शामली)
02/10/25



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... अजल

पिता का नाम..... जीत सिंह

पता..... भजरा छिववगर भा० पंचामत बीबीपुर जलालाबाद, भावा - सिंघाना तहसील केराना जिला शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/9/25 को ग्राम बीबीपुर जलालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 144 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 30/2025-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



(Signature)
सिंघाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... बी. हरम

पिता का नाम..... श्र. ज. पाल

पता..... मजरा शिवनगर, गा. पंचामत बीबीपुर जलालाबाद, भावा सिड्वावा त. केराना जि. शा. मली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23.11.25 को ग्राम..... बीबीपुर जलालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या... 144 ...में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या... 30/25-26 दिनांक... 01.10.25 ... इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संयोजन अधिकारी
शिवनगर (शा. मली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... मोहित

पिता का नाम..... जीत सिंह

पता..... भुजरा बिवनगा 2, ग्रा. पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, भाता सिड्धाना, रेंज केटाना,
शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 13/9/2025 को ग्राम बीबीपुर जलालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 14.4 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 30/25-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संख्या 915/25
शिमला (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....राजीव.....

पिता का नाम.....लच्छीराम.....

पता.....मजरा-शिवनगर आठ पंचायत जीबीपीएल जलालाबाद थाना डिंडासा तहसील चौराना जिला शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2025 को ग्राम जीबीपीएल जलालाबाद... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 148... में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 30/2024/26 दिनांक 01/09/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संयोजक, वन विभाग
डिंडासा (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....व्यपित.....

पिता का नाम.....व्यपित.....

पता.....सिवनगर 330 लीकीपुर जलानाबाद थाना- सिवाना 840 5 राना जिला शमली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2025 को ग्राम लीकीपुर जलानाबाद..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 148..... में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 38/2825-24 दिनांक 01/10/02 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक-02-10-2025



सिवन अधिनियम
सिवाना (शमली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....भरानी.....

पिता का नाम.....पति: वसुपाल.....

पता.....अजरा: शिवनगर सा.पंचायत वीथीपुर भालाबाद ग्राम- सिंझाना तह. अजरा जिला- शामली.....

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2023 को ग्राम वीथीपुर भालाबाद..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 140 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 30/2025 दिनांक 01/10/2023 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2023



सैबराम अधिकारी
सिंझाना (शामली)

भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....कृष्ण पाल.....

पिता का नाम.....महासिंह.....

पता.....सफ़ा शिवनगर, ग्राम पेचापत जीबीपुर भुजालाबाद थाना सिंघाना तहसील जिला शामली.....

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2025 को ग्राम जीबी भुजालाबाद..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 140 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 30/2025-26 दिनांक 01/10/2024 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संयोजक
सिंघाना (शामली)

भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... कालुराम

पिता का नाम..... प्रेमसिंह

पता: मज़रा: शिवनगर, २२२७, पंचाग्रत, कीबीपुर जलालाबाद थाना, सिंझाना तहसील, जिला: शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2025 को ग्राम कीबीपुर जलालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 135.5 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 39/2025-26 दिनांक 01/10/2025 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक 02-10-2025



सैक्रेटरी अतिरिक्त
सिंझाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... पदप.....

पिता का नाम..... ब्रह्मसिंह.....

पता..... मणरा शिवनगर सह पंचायत कीर्तीपुर मलालावाड़ा थाना - बिसावा नर कैराना जिला शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2025 को ग्राम कीर्तीपुर मलालावाड़ा..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 1355 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 30/2025-26 दिनांक 01/10/2024 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संख्या 10/25
शिवाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....जीवन.....

पिता का नाम.....केशमीश.....

पता.....मजरा धिन्नामरा मा. पंचामत बीबीपुर जमालाबाद, भावा-इंडोना तहसील केरवा निला
शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA

915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक...23/9/2024 को ग्राम.....बीबीपुर जमालाबाद

में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन
भूमि के खसरा संख्या 195 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है।

जिसमें रेंज केस संख्या...30/2025-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध

में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके
विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संयुक्त निर्देश
विभाग (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....नरेश्वर.....

पिता का नाम.....पुरुष.....

पता.....भजरा बारीपुर ग्राम पंचायत जीबीपुर जलालाबाद थाना-सिंझाना तहसील जिला शामली.....

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2025 को ग्राम जीबीपुर जलालाबाद.... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 1.5.5...में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 29/2025-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



सैबरन अधिकारी
सिंझाना (शामली)

भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....सविन्दर.....

पिता का नाम.....बैना सिंह.....

पता साकरा बानीपुरा, पंचापुरा, बीबीपुरा, जलालाबाद भाना सिंघाना त. खैराना जिला शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/25.... को ग्राम बीबीपुरा, जलालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 155.... में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 29/2025, 26.. दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



सैबर अधिकारी
सिंघाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....शोबिन्दर.....

पिता का नाम.....हरबीर.....

पता.....राजपुरा, पंचायत, शिवपुर, जिला लाहौर, पंजाब, भारत. शिवा, त. किराना जिला-शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA

915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/25 को ग्राम.....शिवपुर, जिला लाहौर.....

में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 155 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है।

जिसमें रेंज केस संख्या 29/2025-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02/10/2025



सैबर सिंह
शिवा (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....

पिता का नाम.....

पता.....

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2025 को ग्राम..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या..... में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 29/2025-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक- 02/10/25



02/10/25
संबन्धित अधिकारी
खिन्नाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....सेठाराम.....

पिता का नाम.....जैन सिंह.....

पता भजरा बानीपुरा, पंचायत बानीपुरा, तालाबाला, धौला, जिला, हरदोय, जिला, हरदोय

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/25 को ग्राम बानीपुरा, तालाबाला... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 155 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 29/2025-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।



सचिव
विभाग (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....बाबुराम.....

पिता का नाम.....धर्म.....

पता.....समरा, बानीपुर, पंचासत, बीबीपुर, तालाबाद, भाना-सिंझाना त. केरना जिला, रामगढ़ी

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/25 को ग्राम बानीपुर, तालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 155 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 29/2025-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



02/10/25
रीजिस्ट्रार (आपसी)
2



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....चरेश.....

पिता का नाम.....पूरण.....

पता.....सबराजीपुर, न.पंचायत, सीधीपुर, जिला, भुवनेश्वर, ओडिशा त. केराना जिला, शिमली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/25 को ग्राम सीधीपुर, जिला, भुवनेश्वर में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 155 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 29/2025-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संयोजक
जिला (शिमली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम... विनोद कुमार

पिता का नाम... प्रियम सिंह

पता... मजरा श्रीपुर सा. पंचायत श्रीपुर जलालाबाद थाना डिंझाना तहसील कुराना जिला-शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2025 को ग्राम श्रीपुर जलालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 155 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 29/2025-26 दिनांक 01/10/2025 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



02/10/25
संबन्धित अधिकारी
डिंझाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....पप्पन.....

पिता का नाम.....अनूप सिंह.....

पता.....ग्राम बानीपुरा, पंचायत बौलीपुरा, जिला लखीमपुरा, भागा सिंघना हा, सिंघाना जिला शापली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/25 को ग्राम बौलीपुरा, जिला लखीमपुरा में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 155 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 29/2025-26 दिनांक 11/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



सैबशन अधिकारी
सिंघाना (शापली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....प्रदीप.....

पिता का नाम.....आनंद सिंह.....

पता.....बानीपुर, बल्लभपुर, रा.पंचायत, बानीपुर, जलालाबाद थाना, सिंदूराना तालुका, जिला - शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/25 को ग्राम बानीपुर, जलालाबाद... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 158 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 29/2025-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक 02-10-2025



02/10/25
संबंधित अधिकारी
जिला (शामली)



Edit with WPS Office

भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....सशोक कुमार.....

पिता का नाम.....श्यामसिंह.....

पता.....भजरा बानीपुर बगै पंचायत जीबीपुर जलालाबाद थाना बिसाना तहसील जिला शाहजोरी

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2023 को ग्राम.....जीबीपुर जलालाबाद..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 155...में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 99/2025:26 दिनांक 01/10/22 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



सिद्धांत 02/10/25
8 नवम्बर 2025



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....सदन.....

पिता का नाम.....देव.....

पता.....सदर...बारीपुर...पंचायत...बीबीपुर...जालालाबाद थाना-खिड़ाना तहसील-शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2024 को ग्राम...बीबीपुर...जालालाबाद... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या...1.5.5...में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या...29/2025...26 दिनांक 24/10/2025 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



सदर... 02/10/25
खिड़ाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....राजकुमार.....

पिता का नाम.....मैत सिंह.....

पता.....ग्राम. बाला लाल (बाद) भाना - जिला. त. जिला. 21/1/25

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 22/02/25 को ग्राम. बाला लाल (बाद) भाना में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या. 155 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 29/2025-26 दिनांक 01/01/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

~~दिनांक~~ दिनांक - 02-02-2025



सैक्रेटरी
जिला (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

479

सेवा में,

नाम.....आनन्द.....

पिता का नाम.....मनसिंह.....

पता मानव हमीपुर, 228 पंचायत, लीवीपुर, जिला बालाघाट, भोजपुर, बिहार त. केरना जिला (शामिल)

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/25 को ग्राम लीवीपुर, जिला बालाघाट..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 155..... में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 29/2025-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



सचिव
दिनांक 02/10/25
जिला बालाघाट (शामिल)



Edit with WPS Office

भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....शिवराम कुमार.....

पिता का नाम.....प्रकाश चन्द.....

पता.....मण्डरा बारीपुर ग्राम पेचापत वीवीपुर जलालाबाद धारा - सिंघाना जिला शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2025 को ग्राम.....वीवीपुर जलालाबाद..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या...155...में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या...29/2025-26 दिनांक 01/09/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



सैबराम अधिकारी
सिंघाना (शामली)



481

भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....अमित.....

पिता का नाम.....पुष्पाश-चन्द.....

पता.....खतरा बोनोपुरा, पंचाभत, डीडी, मु. त. लालखण्ड भाना-डिंसाना त. केराना जिला-शामली.....

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/25... को ग्राम खतरा बोनोपुरा, त. लालखण्ड में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 155... में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 29/2025-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संवरण अधिकारी
डिंसाना (शामली)



Edit with WPS Office

भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... राजवीर

पिता का नाम..... बलान सिंह

पता मल्लाहा बानीपुरा प्रजापत बीबीपुरा जलालाबाद ग्राम - जिला लखनौ जिला शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/25 को ग्राम बीबीपुरा जलालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 15.5 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 29/2025-26 दिनांक 01/11/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संयोजक अधिकारी
जिला (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....ओ.के.ए......

पिता का नाम.....वि.जे.ए......

पता.....म.ज.रा. बारीपुर (ग.) पंचायत बारीपुर, जलालाबाद, थाना - डिंशेला स. केरना जिला शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/25 को ग्राम बारीपुर, जलालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 155 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 29/2025-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संयोजक (वन विभाग)
02/10/25



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... विनोद

पिता का नाम..... मानसिंह

पता मजरा... बालीपुरा... प्रस्तापत... बालीपुरा जलालाबाद थाना - सिंधाना त. कौराना जिला शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/25... को ग्राम बालीपुरा जलालाबाद... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 155... में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 29/2425-26... दिनांक 01/01/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संयोजक अधिकारी
सिंधाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....राजेश.....

पिता का नाम.....बिजेन्द्र.....

पता.....सुजरा बानीपुर, ग्राम: पंचपुर, जिला: लालाबाग, भू-खेती त. कैराना जिला शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/25 को ग्राम बानीपुर, जिला: लालाबाग में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 155 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 29/2025-26 दिनांक 11/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



सैबलम अधिकारी
भूमि (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....सतीश.....

पिता का नाम.....सुशील.....

पता.....सामरा बगिचा, पंचायत, बीबीपुर, जलालाबाद थाना-अइना त. कैराना जिला-शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/25 को ग्राम बीबीपुर, जलालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 155 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 29/2025-26 दिनांक 11/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संवर्धन अधिकारी
अइना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... शिवकुमार

पिता का नाम..... कृष्णपाल

पता..... मजरा, बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, भाला - सिंगाना
नं० केराना जिला शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/9/2025 को ग्राम बीबीपुर जलालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 155 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 29/2025-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संबन्धित अधिकारी
सिंगाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... लो केश

पिता का नाम..... तेल्लू

पता..... गुजरा बानीपूर ग्राम पंचायत बीबीपूर जलालाबाद, भावा सिंहावा,

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA

915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/9/2025 को ग्राम..... बीबीपूर जलालाबाद

में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या..... 155 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है।

जिसमें रेंज केस संख्या 29/2025-26 दिनांक 11/10/25 ईजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संबन्धित अधिकारी
गोबाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....जोनी.....

पिता का नाम.....खुर्रौद.....

पता सजरा, जलोपुर, पंचप्रतेशी विधानसभा क्षेत्र, जिला शापली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 09/09/25 को ग्राम सजरा, जलोपुर, पंचप्रतेशी विधानसभा क्षेत्र में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 429 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 28/2025 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



02/10/25
संवेदन अधिकारी
जलोपुर (शापली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....राजू.....

पिता का नाम.....हरवीर.....

पता.....सुजरा.....वातीपुर.....ग्राम पंचायत.....वीवीपुर.....अलाहाबाद थाना.....सिंघना तालाब.....अलाहाबाद जिला.....गाम्भीरी

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 09/09/2025 को ग्राम.....वीवीपुर.....अलाहाबाद..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या.....439.....में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 28/2025-26 दिनांक 09/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक-02-10-2025



02/10/25
सैबरपि अधिकारी
सिंघना (गाम्भीरी)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... भगपाल.....

पिता का नाम..... रामचन्द्र.....

पता..... मझरा - बानीपुर ग्राम पंचायत लीलीपुर अनाजवाड़ा थाना झिंजाना तहसील कौराना जिला - शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 09/09/2025 को ग्राम लीलीपुर अनाजवाड़ा..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 579 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 28/2025-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



02/10/25
संयुक्त अधिकारी
मझरा (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....विरमपाल.....

पिता का नाम.....रतन सिंह.....

पता: सजरा - शिवनगर - पंचाणत वीबीपुर भुलावाबाद भागा - झिंझाना तहसील - गामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2025 को ग्राम वीबीपुर भुलावाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 133 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 26/2025-26 दिनांक 30/09/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



02/10/25
संरक्षण अधिकारी
झिंझाना (गामली)



Edit with WPS Office

भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....राजेश.....

पिता का नाम.....पुष्पा शा.....

पता.....भारतपुरा: पंचायत बालीपुरा जलालाबाद भोना- डिंडाना त. केराना जिला- शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 09/09/25 को ग्राम राजेश राजेश राजेश में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 1/2/9 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 28/2025-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संबन्धित अधिकारी
डिंडाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....सुरेश.....

पिता का नाम.....विजयपाल.....

पता: राजरा बानीपुरा, पंचायत बानीपुरा, जलालाबाद थाना-फिरोजपुरा त. फिरोजपुरा जिला-शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 09/09/25 को ग्राम राजरा बानीपुरा में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 479 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 28/2025-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



02/10/25
संबन्धित अधिकारी
फिरोजपुरा (शामली)



496

सेवा में,

नाम..... बिलेडु

पिता का नाम..... सोहन

पता मजरा बारी 92, ग्राम पंचायत बिलेडु, जिला लालाबाद, थाना फिंझाना त. केराना जिला शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 09/09/25 को ग्राम राजस्व ग्राम रतौड़ में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 479 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 28/2025-26 दिनांक 01/11/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संवरण अधिकारी
शिमला (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... उमेश

पिता का नाम..... लुब्धी

पता..... राजपुर, शा. पंचायत, बीबी प्रजलाबाद, भता-प्रमता त. कैराना जिला-शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 09/09/25 को ग्राम राजपुर, शा. पंचायत, बीबी प्रजलाबाद, भता-प्रमता त. कैराना जिला-शामली में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 429 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 22/2025-26, दिनांक 01/09/25, इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



02/10/25
संबंधित अधिकारी
कैराना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....वकील.....

पिता का नाम.....खुरशेद.....

पता सजरा: लीलीपुर साप पंचायत, लीलीपुर प्रतापगढ़ थाना, झिंझाना तहसील, बरेल्ला जिला, शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 09/09/2025 को ग्राम लीलीपुर प्रतापगढ़ में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 439 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 28/2025-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक- 02-10-2025



02/10/25
संवरण अधिकारी
झिंझाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....बलराम.....

पिता का नाम.....सुन्दर.....

पता: मसरा, जामनारा, गुवा, पंचायत, शीबोपु, जालाबाद थाना, डिंडाना त. केराना जिला, शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 09/09/25 को ग्राम जालाबाद को ग्राम जालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 140/19/1 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 28/2025-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



02/10/25
संबन्धित अधिकारी
डिंडाना (शामली)



500

भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....सोमना.....

पिता का नाम.....जुहमान.....

पता: गुरुदास शिवनारायण राय पंचायत, बोलीपुर, जलालाबाद थाना-सिसमा त. बिराना जिला-शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/25 को ग्राम बोलीपुर, जलालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 134 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 25/2025-26 दिनांक 20/09/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



23/10/25
सैबरन अधिकारी
बिराना (शामली)



Edit with WPS Office

भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....सुनील.....

पिता का नाम.....रूपिपाल.....

पता: मजरा शिवनगर, ग्राम पंचायत कीर्तीपुर जलालाबाद थाना सिंघाना तहसीलाना जिला- शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2025 को ग्राम कीर्तीपुर जलालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 133 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 26/2025-26 दिनांक 30/09/22 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक- 02-10-2025



संयोजक अधिकारी
सिंघाना (शामली)
02/10/25

भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... देवेंद्र

पिता का नाम..... ओमपाल

पता सलरा... शिवनारा... ग्राम, पंजापत... लीलापुर (मलालावाड़) ग्राम, झिंझाना त. अरना जिला-शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/25 को ग्राम लीलापुर (मलालावाड़) में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 13.4 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 25/2025-26 दिनांक 20/09/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



02/10/25
संबन्धित अधिकारी
झिंझाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....कृष्णपाल.....

पिता का नाम.....ब्रिजमोहि.....

पता.....सालरा, शिवनगर, ग्राम, पंचायत, बीबीपुर, जलालाबाद, थाना, सिंजाना, तहसील, केराना, जिला - शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2025 को ग्राम बीबीपुर, जलालाबाद... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 133 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 26/2025-26 दिनांक 30/09/2025 रजिस्ट्रार किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-25



02/10/25
सर्वोच्च अधिकारी
भवन/पक्का, शामली

भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....रितु पात्र.....

पिता का नाम.....गिरम सिंह.....

पता.....मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत धीवीपुर जलालाबाद थाना सिंघाना तहसीला केराना जिला शामली.....

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA

915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2025 को ग्राम धीवीपुर जलालाबाद.....

में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 133 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है।

जिसमें रेंज केस संख्या 26/2025-26 दिनांक 30/09/22 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक-02-10-2025



02/10/25
सिंघाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....सुनील.....

पिता का नाम.....सोहन लोहर.....

पता साजरा: शिक्षा रक्षा प्रचारक बीबीपुर जलालाबाद, ग्राम - सिंझाना, त. केरना जिला - शाहरी

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/25 को ग्राम बीबीपुर जलालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 13.4 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 25/2025-26 दिनांक 23/09/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संस्थापक अधिकारी
सिंझाना (शाहरी)



Edit with WPS Office

भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... हरवश (गुलशन)

पिता का नाम..... भीला

पता..... मजरा देरा खंगतपुरा, ग्राम पंचायत बीबीपुर हरिमा, भाना केराना,
नई सील - केराना, जिला 211मली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA
915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 28/8/25 को ग्राम पावटी खुदे मजरा ग्राम पंचायत
में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन
भूमि के खसरा संख्या 537/553 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है।
जिसमें रेंज केस संख्या 27/2025-26 दिनांक 30/9/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध
में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके
विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक:- 02/10/2025



02/10/2025
सेवान अधिकारी
केराना (शान्ती)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....श्री. ए. ए. शर्मा.....

पिता का नाम.....सुन्दर लाल.....

पता सजरा-3 परमनाथ, ग्रा. पंचायत, बीबीपुर, जिला लाबक, जिला बिस्नाना त. कैसाना जिला शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 09/09/25 को ग्राम सजरा-3 परमनाथ में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 140/141 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 28/2025-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक- 02-10-2025



संवर्णन अधिकारी
बिस्नाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... सोनू.....

पिता का नाम..... हरकेश.....

पता: माहरा, श्यामलगा, (रा. प्रतापत, बीछिपु, जिला लाहौर, ग्राम नरिंसमा त. केराना जिला शामली)

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 09/09/25 को ग्राम राजस्व ग्राम रतौड़ में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 140, 141 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 28/2023-24 दिनांक 11/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संयोजक अधिकारी
जिला (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....राधेश्याम.....

पिता का नाम.....कुलीचन्द.....

पता.....महारा.....श्रीमन्मनगर, शास.पंचायत, जीबीपुर जलवाबाद थाना-सिंझाना तह. डेरना जिला-शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक. 09/09/2025 को ग्राम..जीबीपुर..जलवाबाद..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 159/11 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 28/2025-26 दिनांक 01/10/2025 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक-02-10-2025



02/10/25
संयोजक अधिकारी
सिंझाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... श्री रा.....

पिता का नाम..... कलीराम.....

पता: मजरा: ३५५३३३३३, ग्राम: पंचायत श्रीबीपुर जंगलनाथदा थाना- बिंजाना तहसीला- शाहली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक ०१/०१/२०२५ को ग्राम श्रीबीपुर जंगलनाथदा..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 140, 141 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 23/2025-26 दिनांक ०१/०१/२०२५ इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - ०२-१०-२०२४



सहायक अधिकारी
बिंजाना (शाहली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... शिवराज

पिता का नाम..... मुन्शी

पता..... ग्राम-श्यामनगर, साम-पंचायत-लीलीपुर भलालाबाद थाना सिंझाना जिला-शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 08/09/2025 को ग्राम लीलीपुर भलालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 149, 141 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 28/2025-26 दिनांक 01/10/2025 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



02/10/25
संबन्धित अधिकारी
सिंझाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....धनराज.....

पिता का नाम.....रघीराम.....

पता.....श्रीमान शोभनगर, एस.पेन्नासत, बीबीपुर, जलानाबाद थाना, सिंघाना तहसील, जिला-शामली.....

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 09/09/2023 को ग्राम बीबीपुर, जलानाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 148, 149 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 238/2025-26 दिनांक 11/12/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



सैबराम अग्रवाल/25
सिंघाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....जिंदू.....

पिता का नाम.....सेवा सिंह.....

पता.....श्यामनगर ग्राम-पंचायत जीसीपुर जलालाबाद थाना-शिवगंगा तहसील-शिवगंगा जिला-शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 01/09/2025 को ग्राम जीसीपुर जलालाबाद..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 149, 151 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 22/2025-26 दिनांक 01/09/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



सेवा सिंह
शिवगंगा (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....शुभाष.....

पिता का नाम.....शुभाष.....

पता सखरा...शुभाष नगर, ग्राम पंचायत, श्रीरामपुर, जिला - शिवगंगा, तहसील - शिवगंगा

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 09/09/2025 को ग्राम श्रीरामपुर, जिला - शिवगंगा में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 190/111 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 28/2025-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



02/10/25
सहायक अधिकारी
शिवगंगा (शिवगंगा)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....बिजेन्द्र.....

पिता का नाम.....महासिंह.....

पता.....सुल्तानपुर, ग्राम-पंचापुर, बीबीपुरा, जलालाबाद, थाना-सिंभली, त.कैलासा जिला-शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/25 को ग्राम बीबीपुरा, जलालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 134 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 25/2025-26 दिनांक 23/09/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संयोजक अधिकारी
जिला-शामली



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....पुनःपुनः.....

पिता का नाम.....शिवशरण.....

पता.....मन्तरा-शिवनारायण-ग्राम पंचायत-खीबीपु-जलालाबाद-थाना-किंसात-हैदराबाद जिला-आमली.....

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/25 को ग्राम खीबीपु-जलालाबाद... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 13.9... में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 25/2025-26 दिनांक 30/09/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



दिनांक 02/10/25
सिबरि अधिकारी
किंसात (आमली)

भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....श्री. म. पु. शर्मा.....

पिता का नाम.....श्री. म. सि. सिंह.....

पता अ. म. रा. शिवपुरा गा. प्र. चामता बारी, जिला लालाबाद, जिला - सिंगरिया रा. किराना जिला शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/11/25 को ग्राम शिवपुरा, जिला लालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 134 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 25/2025-26 दिनांक 20/11/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संख्या 25/2025-26
शिवपुरा (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....पूरा.....

पिता का नाम.....रामशरण.....

पता.....शिवनगर, पंचम, बेलीपुर, जलालाबाद थाना-फिरोजा त. फिरोजा जिला, शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA

915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/25 को ग्राम बेलीपुर, जलालाबाद.....

में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या (134) में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है।

जिसमें रेंज केस संख्या 25/2025/26 दिनांक 30/09/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



सैक्रेटरी अधिकारी
फिरोजा (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....सतवीर.....

पिता का नाम.....सुब्बुडु.....

पता: मापरा: शिवनगर, साम: पंचायत: श्रीबीपुर अलाहाबाद थाना: छिंदवाणा तह: कैरना जिला: शाबली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2025 को ग्राम: श्रीबीपुर अलाहाबाद..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 133...में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 26/2025-26 दिनांक 30/09/22 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



23/10/25
संबन्धित अधिकारी
छिंदवाणा (शाबली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....जैरेश.....

पिता का नाम.....जगपाल.....

पता:सखरा, बानीपुर, रा. प्र. जंगल बेली, मु. जलालाबाद, घना-सिंसा, त. लैरना, जिला-शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 09/09/2025 को ग्राम रा. प्र. जंगल बेली, मु. जलालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 479 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 28/2025-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संकराज अधिकारी
जिला (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... राबिंद्रा

पिता का नाम..... लालू

पता..... मजरा: शिवनगर, गांव: पंचामृत, बीबीपुर, जलालाबाद, थाना: शिवनगर, तहसील: केरना, जिला - शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2025 को ग्राम..... बीबीपुर, जलालाबाद..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 133... में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 26/2025-26 दिनांक 30/09/2025 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



02/10/2025
संबन्ध अधिकारी
शिवनगर (शामली)

भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....रविश.....

पिता का नाम.....कुशाडी.....

पता.....ग्राम: जीजीपुर, पंचायत: जीजीपुर, तहसील: जगन्नाथ, जिला: सिद्धापुर, तहसील: डेरना, जिला: शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 09/09/2025 को ग्राम जीजीपुर, तहसील: जगन्नाथ.... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 1179... में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 28/2025-26, दिनांक 01/10/2025 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



02/10/25
संरक्षण अधिकारी
सिद्धापुर (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....इश्वर.....

पिता का नाम.....पुष्पाश्री.....

पता: सजरा, बानीपुर, रा. प्रपापत, बानीपुर, जलालाबाद भाना-डिहमाना त. डरना जिला शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 09/09/25 को ग्राम सजरा, रा. प्रपापत, बानीपुर, जलालाबाद भाना-डिहमाना त. डरना जिला शामली में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 429 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 28/2025-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संयोजन अधिकारी
डिहमाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....सतीश.....

पिता का नाम.....विष्णु.....

पता: मण्डरा बनीपुरा, पंचायत बिलीपुरा, जलालाबाद थाना-मिंसाना त. लैराना जिला-शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 09/09/25 को ग्राम राजस्व ग्राम रतौड़ में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 97.9 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 28/2025-26 दिनांक 11/09/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



दिनांक 11/09/25
सहायक अधिकारी
मिंसाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....शिवकुमार.....

पिता का नाम.....बोवला.....

पता.....सफाई शिवनगर ग्राम पंचायत लीलीपुर जन्मालाबाद थाना-सिंझाना तहसील-जिला (शामली)

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2025 को ग्राम लीलीपुर जन्मालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 13.3 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 24/2025-26 दिनांक 23/09/2025 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संयोजन अधिकारी
जिला (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....राजिन्द्र.....

पिता का नाम.....सांगा.....

पता.....सजरा: शिवनगर ग्राम: पंचायत: बीबीपुर जलालाबाद थाना: शिंजाना तहसीला: कैराना जिला: शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2025 को ग्राम.....बीबीपुर जलालाबाद..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या...133...में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 26/2025-26 दिनांक 23/09/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संक्षेप अधिकारी
शिंजाना (शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....संजय.....

पिता का नाम.....रतन सिंह.....

पता: झरारा: शिवनगर: सप्त प्रताप.....

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2025 को ग्राम: बीबीपुर: झरारावाड़ा..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 133 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 24/2025-26 दिनांक 30/09/2025 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संवरान ओ.के.सिंह
सिंघाना (शामली)

530

भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....अप सिंह.....

पिता का नाम.....अमरनाथ.....

पता.....राजरा - श्यामनगर, रामपंचापुर, लीवीपुर, जलालाबाद थाना - सिंझाना तहसील - जामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 09/09/2025 को ग्राम लीवीपुर, जलालाबाद..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 143....में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 28/2025-26 दिनांक 01/10/2025 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



02/10/25
संयोजक अधिकारी
सिंझाना (जामली)



Edit with WPS Office

531

भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....अपत लाल.....

पिता का नाम.....कलीराम.....

पता.....भारता.....श्रीमदनगर.....आम्र प्रेक्षापत पीलीपुर जवालाबाद थाना-शिवसाला तहसील-कैलासा जिला-शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 09/09/2025 को ग्राम.....पीलीपुर जवालाबाद.....में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 199, 199, 199 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 28/2025-26 दिनांक 01/10/2025 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



सैबशम अधिकारी
शिवसाला (शामली)

भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....वीरभान.....

पिता का नाम.....अमरनाथ.....

पता.....सम्राट श्यामनगर, बस स्टैंड, सीबीपुर, जलालाबाद थाना-सिंझाना तहसील-शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 09/09/2025 को ग्राम.....सीबीपुर, जलालाबाद..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या...143...में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या...22/2025-26 दिनांक 21/10/2025 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



02/10/25
संबन्धी अधिकारी
सिंझाना (शामली)

533

भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....राम राज

पिता का नाम.....असरनाथ

पता सफ़रतः- १. शमनगर २. अमर प्रेम नगर कीर्तीपुर, पल्लवाबाद भन्ता-सिंघाना तहसील केरला जिला- शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक ११/०१/२०२५ को ग्राम कीर्तीपुर, पल्लवाबाद..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या ५३..... में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या २४/२०२५-२६ दिनांक ११/०१/२५ इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन/पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - ०२-१०-२०२५



संलग्न अधिसूचना
सिंघाना (शामली)



कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना दिनांक 04/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B.)

सेवा में

जयपाल पुत्र पल्लु निवासी
ठक्करपुर सुन्ही घाटा कैराना
तहसील कैराना जिला शामली

अद्यावत्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम-ठक्करपुर सुन्ही तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या-130 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर दानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 83 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 10/10/25 को समय 10:30 बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 04/10/25 को समय लगभग 10:30 बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पञ्चांक

कैराना, दिनांक ०१/०६/२८

नोटिस

(अर्जागत भागवतअधि १९२७ की धारा ७२ (१) B)

लेखक ने

मेरीनयनयन समेता मैमारी-
जमकपुर सुहैदी धान कैराना
गडमिड दीरना सिद्धा शापसी-

अधिरुताअधिरु के सक्षान मे आया है कि आपके द्वारा धान जमकपुर सुहैदी
तहसील कैराना जन्मपद शामली मे स्थित उ०५५० वन विभाग की भूमि खासत संख्या -१२०
मे अक्षेप कय हो भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर
अतिक्रमण कर भवन निर्माण / कोंड भी गैर गानिकी कार्य किया जाना भा०१०अधि० १९२७ की
धारा ६३ के अर्जागत लक्ष्ये दण्डनीय अपराध है।

आम आमसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपको द्वारा भवन निर्माण
किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित विनोद (११/०६/२८)..... को समया(११/०६/२८) वक्त मेरे
कार्यालय मे (मना - मुल खेडी मुल, शामली), समया सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट
करे अन्यथा आगक विरुद्ध अनियोजन पत्रिकीयुत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
आम विनोद (११/०६/२८) को समया लागूना (११/०६/२८) वक्त संघे उक्त नोटिस मेरे
कार्यालय मोहर नमूना लगाआए हो जारी किया गया है।



क्षेत्रीय वन अधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिल।

पत्रांक

कैराना दिनांक 04/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा है

कृष्ण पुत्र आभा मितासी
अकबरपुर सुन्हीटी थाना कैराना
तहसील कैराना जिला शामिल।

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम अकबरपुर सुन्हीटी तहसील कैराना जनपद शामिल में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 215 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/ कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 10/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामिल) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अज दिनांक 04/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 04/11/1957

नोटिस

अन्तर्गत भा0303वि0 1927 की घात 72 (1) B।

सेवा में

**उसकरपुरा पुर विधायी -
उसकरपुरा सुब्बेडी घाना क्षेत्र
तहसील कैराना जिला शामली।**

अदालतलखारी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा पान-असकरपुरा सुब्बेडी तहसील कैराना जगह शामली में स्थित 30000 वर्ग विघा की भूमि खसरा संख्या-25- में अर्द्ध धन से भंडन निर्माण किया गया है, आपके अज्ञात कराना है कि वन भूमि पर अधिकार कर भवन निर्माण/कोई भी नए वास्तविकी कार्य किया जाना गठबध्दवि0 1927 की घात 63 के अन्तर्गत सख्त दण्डनीय अपराध है।

537

अतः आनरे अर्द्ध की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, वहां स्थल के अधिकारों सहित विनियम 16/1/1957 की समग्र provisions को पढ़ें। कार्यालय में प्राप्त - पूरा खेती भुज, शामली, सख्त सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अनियोजित पॉसिबिलिटी केर सिविल लावाबली प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अतः दिनांक 04/11/1957 को समय लगभग 11:30 AM तक साब उपर नोटिस केर कार्यालय मोड़ पर सम्पन्न कर के जारी किया गया है।



सुकर
कैराना रेंज (कुमार)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिली।

पत्रांक

कैराना दिनांक 09/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में

जाकिर पुत्र अब्दी हुसन निवासी
नि. अकबरपुर सुन्हीदी थाना कैराना
तहसील कैराना जिला शामिली।

अध्याहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम - अकबरपुर सुन्हीदी तहसील कैराना जनपद शामिली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 215 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/ कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 10/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता - पुल खेड़ी पुल, शामिली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अनियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अज दिनांक 09/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिल।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 04/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

लेख नं.

कमवीरपुत्र हुक्मा निवासी
 बख्तरपुर सुन्ही, ग्राम कैराना
 तहसील कैराना जिला शामिल

अध्याहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम - बख्तरपुर सुन्ही तहसील कैराना जनपद शामिल में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या - 231 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 04/10/25 को समय 11:00AM बजे मेरे कार्यालय में (पता - पुल खेडी पुल, शामिल) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अज दिनांक 04/10/25 को समय लगभग 10:30AM बजे राय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।




 0 (राजेश कुमार)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 कैराना रेंज
 शामिल

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिल।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 04/10/15

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B.)

सेवा में,

लक्ष्मी पुत्र पौदवा निवासी
अकबरपुर सुन्हटी थाना कैराना
तहसील कैराना जिला शामिल

अद्याहस्ताक्षरी को संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम अकबरपुर सुन्हटी⁴⁰ तहसील कैराना जनपद शामिल में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खरारा संख्या-२२1 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 83 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, सबूत स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 10/10/15 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता - मुल खेडी पुल, शामिल) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 04/10/15 को समय लगभग 11:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

541

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिल।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 04/10/25

नोटिस

(अर्न्तगत भा0ब0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में

शमान पुत्र मालमदीन, निवासी-
मकबरपुर सुन्हेटी, ग्राम कैराना,
तहसील कैराना, जिला शामली

अद्यावस्तावरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम मकबरपुर सुन्हेटी-
तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खरारा संख्या-220
में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर
अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0ब0अधि0 1927 की
धारा 63 के अर्न्तगत सख्त वर्जनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण
किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 10/10/25 को समय 11:00AM बजे मेरे
कार्यालय में (पता:- पुल खैली पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट
करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजिकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अज दिनांक 04/10/25 को समय लगभग 10:30AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे
कार्यालय मांढरा एवं हजाराकर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिल।

पत्रांक

कैराना दिनांक 04/10/2025

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में

इस्लाम पुत्र साबिर निवासी
बकवरपुर सुन्हेटी ग्राम कैराना
तहसील कैराना जिला शामिल।

अध्याहस्ताक्षरी को संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम - ~~बकवरपुर सुन्हेटी~~^{पुल} तहसील कैराना जनपद शामिल में स्थित ल0प्र0 वन विभाग की भूमि खरारा संख्या- 232 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, तत्क्षेत्र स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 10/10/2025 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता - पुल खेडी पुल, शामिल) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी रिधति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अतः दिनांक 04/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे शायद उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामिल

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिल।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 04/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में

सुरकान पुल डकवाल निवासी
 ठक्करपुर सुन्दरी थाना कैराना
 तहसील कैराना जिला शामिल

अधीनस्थताधारी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम ठक्करपुर सुन्दरी तहसील कैराना जनपद शामिल में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या - 30 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 10/10/2025 को समय 11:00AM बजे मेरे कार्यालय में (पता - पुल खेडी पुल, शामिल) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 10/04/25 को समय लगभग 10:30AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहल एवं हरवाकर से जारी किया गया है।




 *राजेश कुमार)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 कैराना रेंज
 शामिल

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

सहदीयन पुल जहाज नि०
कनधी तह कैराना जिला
शामली

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम कनधी तहसील कैराना जन्मद शामली में स्थित उ०प्र० वन विभाग की भूमि खसरा संख्या ७१ में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा०व०अधि० 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत सख्त वर्जनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक ११/०८/२५ को समय ११:०० बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल सेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक ०६/१०/२५ को समय लगभग ११:३० बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिल।

पत्रांक

/

कैराना दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

महानगर पुल खेडी पुल
वरन्धी त. कैराना जिला
शामली

अघाहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम वरन्धी तहसील कैराना जनपद शामिल में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या-191 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12.10.25 को समय 11.00.00 बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10.30.00 बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

/

कैराना दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

प्रधान पुत्र सफी मि०
बसन्ती ल० कैराना
मि० शामली

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम कैराना तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ०प्र० वन विभाग की भूमि खसरा संख्या २०६ में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा०व०अधि० 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 06/10/25 को समय 11:00 बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजिकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिल।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

फिराक पुत्र सैफी नि 0
बरजटी तहकैराना जिला
शामली

अध्याहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्रामकर्मकी-
 तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 206
 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर
 अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की
 धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण
 किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 19/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे
 कार्यालय में (पता- पुल खेड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट
 करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे
 कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



राजेश कुमार
 (राजेश कुमार)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 कैराना रेंज
 शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

/

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

सखीर पुत्र प्रदीप सिंह
वरनवी त 0 कैराना
जिला शामली।

अद्योहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम वरनवी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 134 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

/

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

इमरान पुत्र जबरदीन नि: 8
बरनखी तह कैराना
जिला शामली

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बरनखी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या - 137 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 11/10/25 को समय 11:00AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



४ (राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

/

कैराना दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

अफ़्जल पुत मंडा सि०
बरन्धी तहसील जिला
शामली

अघोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बरजावी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ०प्र० वन विभाग की भूमि खसरा संख्या-७७७ में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा०व०अधि० 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 13/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

/

कैराना दिनांक 06/10/95

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

जगदीश पुत्र पुर्याज नि 0
 कलमबी तहसील
 जिला शामली

अघोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम वरजखी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या-134 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 13.10.95 को समय 11.00AM बजे मेरे कार्यालय में (पता— पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजिकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/95 को समय लगभग 10:30AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 कैराना रेंज
 शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिल।

पत्रांक

/

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

नज्दीन पुत्र खजीजान मि०
वरजवी तह कैराना जिला
शामली

अद्योहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम ~~वरजवी~~ तहसील कैराना जनपद शामिल में स्थित उ०प्र० वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 198 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोर्ड भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा०व०अधि० 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामिल) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजिकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



8 (राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

इमरान पुत्र अफ़्ताब नि 0
हस्ताक्षरी वन कैराना जिला
शामली

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम वरनाली तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या-198 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

/

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

वाहिद पुत्र गरीब नि 8

वसुधायी तह कैराना

ब्लिन्ड शम्ली।

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बजगी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 138 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अर्न्तगत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

शकील पुत्र सुमताज निवा
बरनाली तहसील
कैराना रेंज शामली।

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बरनाली तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या - 138 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अर्न्तगत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 13/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजिकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना-रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

श्री. पुत्र रियासत नि. 8
बराही तह. कैराना जिला
शामली।

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बराही तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 364 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:00AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30AM बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना-रेंज शामिली।

पत्रांक

/

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

रुक्मणी पुत्र किशोरी निवा
वरजखी त 0 कैराना जिला
शामली

अद्योहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम वरजखी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 364 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 83 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना-रेंज शामली।

पत्रांक

/

कैराना दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

तपस्य पुत्र हासिम निह
बरजावी त0कैराना
जिला शामली।

अद्योहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बरजावी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 364 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 13/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना-रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत मा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

सावित्र पुत्र निरंजन नि
बरनगी तहकैराना जिला
शामली

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बरनगी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 364 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना मा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 19/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



र
 (राजेश कुमार)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 कैराना रेंज
 शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

/

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

इम्मान पुत्र लीछु मिठ
बरगसी ठंठैराना
दिनांक शामली

अधोहरताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बरगसी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 364 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:30AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30AM बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना-रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 06/10/85

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

शैलेंद्र पुत्र रामा मिश्र
बस्ती नरकैराना मिला
शामली।

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम चरनखी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 261 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 13/10/85 को समय 11.00 बजे मेरे कार्यालय में (पता— पुल खेड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/85 को समय लगभग 10.30 बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना-रेंज शामली।

पत्रांक

/

कैराना दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अर्न्तगत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

आश्वरूप पुत्र दर्ज नि 8
वरनावी न 8 कैराना जिला
शामली

अद्योहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम वरनावी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 301 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अर्न्तगत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 13/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना-रेंज शामली।

पत्रांक

/

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

संजय पुल खेड़ी नि. 0
वरनावी त. 0 कैराना वि. नि.
शामली

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम वरनावी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 201 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 13/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी रिथिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजिकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

श्रीम पुर रंजि निठवाली
तहकैराना जिला शामली।

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम वरनाली तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 401 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत सज्जेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 13/10/25 को समय 11:00AM बजे मेरे कार्यालय में (पता— पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 11:30AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 कैराना रेंज
 शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना-रेंज शामली।

पत्रांक

/

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

श्री. पुत्र शाहूदीन नि. 0
वरनाली तहसील
जिला शामली

अद्यावस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम ~~वरनाली~~ तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 148 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 19/10/25 को समय 11:00AM बजे मेरे कार्यालय में (पता— पुल खेड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना-रेंज शामली।

पत्रांक

/

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

रक्षाकृत पुल खेडी पुल, शामली में
 करनाही तह कैराना जिला
 शामली

अधोहरताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम करनाही तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या - 148 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत सज्जेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 10:00 बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:00 बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 कैराना रेंज
 शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B.)

सेवा में,

सर्वर पुल इस्फान निठरतवी
तहकैराना जिला शामली

अद्योहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम वरनखी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या -148 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 कैराना रेंज
 शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना-रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अर्न्तगत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

शकीन पुल खुलीकरण नि०
करनवी तह कैराना जिला
शामली

अटोहरताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम करनवी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ०प्र० वन विभाग की भूमि खसरा संख्या-148 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा०व०अधि० 1927 की धारा 63 के अर्न्तगत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 13/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजिकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना-रेंज शामली।

पत्रांक

/

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

इस्लाम पुत्र सूचीमू नि०
 वरनावी तहसील
 कैराना शामली

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम वरनावी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ०प्र० वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 347 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा०व०अधि० 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 06/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 कैराना रेंज
 शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना-रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

श्रीमान पुत्र स्वामी नि. 8
 बरगची त. 0 कैराना जिला
 शामली

अद्योहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम ~~बरगची~~ तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 347 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:00 बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 कैराना रेंज
 शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

नमस्ते

कैराना, दिनांक 24/11/25

नोटिस

(उत्तरीय भाग) अधिनियम 1927 की धारा 72 (1) B।

नमस्ते

गणेशपुर विभाग निवासी
शुक्रगपुर हाईवे बाजार कैराना
रहस्यीय क्षेत्रीय विभाग शामली

अधिनियम 1927 की धारा 72 (1) B के अन्तर्गत, आपको सूचित किया जाता है कि आपका द्वारा भवन निर्माण में अतिक्रमण करने का मामला न्यायाधीश के समक्ष है। आपको सूचित किया जाता है कि आपका द्वारा भवन निर्माण करने का मामला न्यायाधीश के समक्ष है। आपको सूचित किया जाता है कि आपका द्वारा भवन निर्माण करने का मामला न्यायाधीश के समक्ष है।

आपको सूचित किया जाता है कि आपका द्वारा भवन निर्माण करने का मामला न्यायाधीश के समक्ष है। आपको सूचित किया जाता है कि आपका द्वारा भवन निर्माण करने का मामला न्यायाधीश के समक्ष है। आपको सूचित किया जाता है कि आपका द्वारा भवन निर्माण करने का मामला न्यायाधीश के समक्ष है।



विभाग
क्षेत्रीय वन अधिकारी
कैराना रेंज
शामली

572

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना दिनांक 04/10/25

नोटिस

(अर्न्तगत भाग03वि0 1927 श्री धारा 72 (1) B)

नोट :-

इसमें पुनः मांगर निजारी
अन्तर्गत रेंज क्षेत्रीय माना कैराना
मंडलैराना दिनांक शामली

अध्याहरताभारी के लक्षण से आया है कि आपके द्वारा प्राप्त अकबलपुत्र सुन्दरी-
तहरसील कैराना अन्तर्गत शामली से स्थित 30810 नम विभाग की भूमि खसरा संख्या 232
में अकेला खत से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर
अतिश्रमण कर भवन निर्माण / कोई भी मंद यात्रिकी कार्य किया जाना भाग03वि0 1927 की
धारा 63 के अन्तर्गत सख्त वर्जनीय आपराध है।

उक्त आगते अपेक्षा की जाती है कि जितना स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण
किया गया है, उसका स्थल के अधिकारी सहित दिनांक 06.10.25..... को समय प्राग्गतापूर्वक मेरे
कार्यालय में (वक्त) - पुन खेदी पुल, शामली, संभली स्थित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट
करें, अन्यथा आंक विरुद्ध अभियोग पत्रकीयुक्त कर विधिक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी।
आप निम्नक.04/10/25 को समय लगभग 10:30am बजे साथ उक्त नोटिस मेरे
कार्यालय पर पहुँचें। तत्पश्चात से जारी किया गया है।



वि.क.
द.राजेश कुमार,
क्षेत्रीय वनाधिकारी,
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैथना रेंज शामली।

मन्त्रिक

कैथना दिनांक ०५/०१/१८

नोटिस

(अर्न्तगत भारतीयकानून 1927 की धारा 72 (1) B)

देखें, कि

शामलीरपुरा दुवा निवासी
अनन्तर सुनील कुमार
नरैन्द्रगढ़ विभाग शामली

अध्यापकत्व के संज्ञान में आज है कि आपके द्वारा प्राप्त अभिलेख 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञित दफ्तरीय आधार है।

आप आपसे अध्यापक की जाती है कि जिस स्थान पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, लकड़ी गड्ढा के अन्तर्गत सड़ित दिनांक 16/01/18..... को समय 11/20/18.....को मेरे कार्यालय में (पता- पूरा छोड़ें, पूरा, शामली) सजाया सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आत्मक विवरण प्रस्तुत कर विधि कार्यालयी प्रारम्भ कर दी जायेगी।
आप दिनांक ०६/०१/१८ को समय लगभग 11:30 AM.....को साथ उपर नोटिस देने का अवसर सौंप रहे जाते किया गया है।



प्रमुख
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैथना रेंज
शामली

574

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

मन्त्रीक

कैराना, दिनांक ०६/०६/१८

नोटिस

(अन्वर्तगत भा0000अवि0 1927 की धारा 72 (1) B)

देख नि

छरु दुल जवान मिनारी
मकरपुर, पुर्वी धामाईराना
गढ़ीर-कैराना जिला, शामली

जगदिराजसरी के संज्ञान मे आया है कि आपके द्वारा प्राप्त एकत्ररुप खर्च-द्वारा
छररील कैराना जवनपद बागवती मे स्थित 30% वन विभाग की भूमि खरास संख्या 30

में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपके अवगत कराना है कि वन भूमि पर
अतिक्रमण कर भवन निर्माण/खोई भी गैर वास्तविकी कार्य किया जाना भा0000अवि0 1927 की
धारा 63 के अन्वर्तगत संश्लेष दम्बनीय अपराध है।

अतः आगते अवस्था की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण
किया गया है, उक्त स्थल को अनिलेश्वर सहित दिनांक 14/06/18 को समय 12:00:00 बजे मेरे
कार्यालय मे (पता - दुल खेड़ी मुक्त बागवती) सज्जा सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट
करे, अन्यथा आपके विरुद्ध अनिवार्य नज़िर्तकरी कर शिवाय कारवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
अतः दिनांक 06/06/18 का समय लागू 12:00:00 बजे सायं उक्त नोटिस देरे
कार्यालय मोहर, गाँव जगदिराजसरी के जहाँ भिजा गया है।



धरमेश कुमार)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
कैराना रेंज
शामली

575

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना दिनांक ०१/०६/२५

नोटिस

(अन्तर्गत भा0ज0अधि0 1827 की धारा 72 (1) b)

सेवा में

प्रमुख पुत्र गांधीन मिमाली
मन्त्रालय सुनईटी पानना मैदान
नर वैशाला विभाग आरम्भी

प्रधानमन्त्रालय के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा प्राप्त मन्त्रालय सुनईटी लेखसील कैराना उन्मुख शामली में स्थित ७०% वन विभाग की भूमि खाला संख्या ३३ में अथवा १५ से भवन निर्माण किया गया है, इसके अन्तर्गत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण अथ भवन निर्माण/कोई भी गैर वास्तविकी कार्य किया जाता भा0ज0अधि0 1827 की धारा 63 के अन्तर्गत संक्षेप दृष्टिकोण अपराध है।

अन्तः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उसके स्थल के अभिलेखों सहित दैनिक 16/11/25 को समय 12.00 बजे मेरे कार्यालय में (पता - पुत्र खंडी पुल, शामली) सख्त सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा अतः विरुद्ध अस्थिरण पालिका कृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। अतः दिनांक ०१/०६/२५ को समय लगभग 12.30 बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय में हस्तान्तरण से जल्दी किया गया है।

576



प्रमुख (राजना कुमार)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 04/10/20

नोटिस

(अर्जेंट) माउण्डाधि 1827 की धारा 72 (i) B.)

सेवा में

इतिहास पुत्र कैराना निवासी
अरुण पुत्र सुहृदी शाना कैराना
राईबना पिका अरुणी

अदालतवासी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा शान अरुण पुत्र सुहृदी-
राईबना कैराना जनपद शामली में स्थित माउण्ड वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 43
में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपकी अवगत कराना है कि वन भूमि पर
अतिक्रमण कर भवन निर्माण/काई भी गैर चानिकी कार्य किया जाना माउण्डाधि 1827 की
धारा 82 के अन्तर्गत सख्त वर्चस्वीय अपराध है।

अतः आगरे अफसर की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण
किया गया है, वक्त स्थल के अभिलेखी सहित विनाक 16.11.20... को समग्र 11.11.20... बजे मेरे
कार्यालय में (पता:- पुल रोड, मुल, शामली) साम्यो सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट
करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अनिवार्य कार्यवाही कर सिविल कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
आज दिनांक 04/10/20... को समय लगान 10:30 बजे सायं उठता नोटिस भेरे
आगे कार्यलय माउण्ड वन इलाके में जारी किया गया है।

577



बंशजरा कुमार
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

7/2/07

पं.रा.रा. दिनांक ०१/१०/७५

परिचय

(सुसर्गादि मण्डपसंविदो १९२७ की धारा ७२ (१) B.)

2014

आनी बाबाय घेऊन एवढ्या निरक्षरी
मंडळीतून उचलून घेतली बाबायला
मुलांला बाबा निरक्षर आणवत

अंतराष्ट्रीय संघों के सहानुभूति में आया है कि आपके द्वारा प्राप्त एकत्रित सूचनाएँ ७५-७६ तक सीमा केरना समुदाय के लोगों में विश्वास जगाने की पूर्ण खराब सहायता ७५-७६ में अर्थ के रूप में मदद निर्माण किया गया है, आपको अंतर्गत करना है कि इन पूर्ण पर अंतराष्ट्रीय कार्य में न्याय निर्माण/कोई भी नए व्यक्ति को कार्य किया जाना ७५-७६ के अंतर्गत संघों पर दखनौद अपराध है

अतः आनन्दो अर्थरक्षा यही जाती है कि जिस जाल पर आपका हाथ भगवान निर्माण करेगा भगवान है, जहाँ सबके के प्रतिनिधित्व है। अतः विनाश $100\% = 100\%$ को समझ $100\% = 100\%$ को मेरे प्रतिनिधित्व में (मृत - दुःख, खेडी मृत, शान्ति) सबको सहित उत्पत्तिगत होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे, अन्तर्गत आने के विनाश के प्रतिनिधित्व में एक ही कृपा कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायगी।

अतः विनाश $100\% = 100\%$ को समझ लगायत $100\% = 100\%$ को समझ उक्त नोटिस को कार्यवाही में लाने के लिए कार्यवाही के जारी किया गया है।

20/04/2025 को रात 10:30PM बजे रात उका नोटिस भर

आपका पत्र मिला था। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ।



Dr. (राजेश कुमार)
देशीय वनाधिकारी
कैरना रेवा
राजनी

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैसाना रेंज शामली।

पत्रांक

कैसाना, दिनांक 05/10/95

नोटिस

(अन्तर्गत माण्डअधि 1927 की धारा 72 (1) b)

सेवा में

नदी-तुल जलेशान निदेशी
महसुद-गुहेटी शाना कैसाना
नदी-कैसाना शिक्षा (शामली)

आपसमक्ष से संबंध में आया है कि आपके द्वारा दान कमलपुर-गुहेटी तहसील कैसाना जलेशान शानली में स्थित 3000 वन किताब की भूमि इसरा संस्था में के अवधि को से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अविक्रमण कर भवद निर्माण/कोई भी तरह काविकी कार्य किया जाना माण्डअधि 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत राजीब दण्डनीय अपराध है।

आप अवगत अवस्था की जाती है कि दिनांक 08/11/95 को समय 11:00 AM के मेरे किया गया है, जहां स्थल की अवस्थितों सहित दिनांक 08/11/95 को समय 11:00 AM के मेरे कार्यलय में (वता- पूर्ण देखी पुल, शानली, भादवा सहित उपस्थित संकर अपनी स्थिति स्पष्ट करके अवस्था आकर विवरण पानकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
आप विनम्र 05/10/95 को समय लगाना 11:30 AM, वहां रांघ उका नोटिस केर कार्यलय मांडर एवं इलाका से जारी किया गया है।



अपराध कुमारा
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैसाना रेंज
शामली

579

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

संज्ञक

कैराना दिनांक ०५/१०/१८

नोटिस

अर्न्तगत भागबख्शिश १९८२ की धारा १२ (१) B ;

नोट नं०

अकसरपुर अला निवारी-
अकसरपुर झुईही धाना कैराना
नर कैराना विभाग शामली।

अध्यादेशवासियों के संज्ञान में लाया है कि आपके द्वारा प्रान अकसरपुर झुईही-
शारसील कैराना जलपट्टा शामली में स्थित ८०४० इन विमान की भूमि खतरा संख्या-२२७-
में अवैत रूप से भूदान निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर
अतिक्रमण कर भूदान निर्माण / कार्य भी गैर शान्ति कार्य किया जाना भागबख्शिश १९८२ की
धारा १२ के अन्तर्गत सख्त दण्डनीय अपराध है।

आज आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थान पर आपके द्वारा भूदान निर्माण
किया है तबत स्थल को उपलिपिओं सहित दिनांक १५/१०/१८ को समय ११.०००० बजे मेरे
कार्यालय में (पता - मुक्त खेडी, मुक्त, शामली) सख्तों सहित तत्पस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट
करे अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।
ध्यान दिनांक ०५/१०/१८ को समय खतपत्र सं. ३५०/१८ बड़े सांव उक्त नोटिस मेरे
कार्यालय भण्डार तथा डायरेक्टर के जारी किया गया है।

580



सि
भरतनाथ कुमार
क्षेत्रीय वन अधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैथाना रेंज शामली।

पत्रांक

कैथाना, दिनांक 04/10/2027

नोटिस

(अर्न्तगत भाग00अवि0 1927 की भाग 72 (1) B.)

सेवा में

इंदिरापुर अल्की मिश्रा
अल्कीपुर जूनेही घाना कैथाना
सखीम कैथाना बिजाग गावकी।

आदरितप्रतिभा शो सलाम में आता है कि आपके द्वारा भान - अल्कीपुर जूनेही तहसील कैथाना अल्कीपुर नामकी से स्थित 0000 वन विभाग की भूमि अलग से 29 4 में अल्कीपुर से भवन निर्माण किया गया है, आपके अवगत कथना है कि वन भूमि पर अधिकरण कर भवन निर्माण / कोई भी गैर वास्तविक कार्य किया जाना भा000अवि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत सखीम दण्डनीय अपराध है।

अतः आपको अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उसका स्थल को अधिकृत सखीम विनोद भा000अवि0 को समझ (1:00) बजे भेरे कार्यालय में (पता - पुल छोड़ी पुल, शामली) सखीम सहित उपस्थित होकर अपनी विधिति स्पष्ट करें, अन्यथा आप को मिलने अधिकृत अधिकृत कर विधिक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आपको दिनांक 04/10/2027 को समय लगभग 10:30AM बजे साथ उस नोटिस भेरे कार्यालय गाहर निर्मात सखीम से जारी किया गया है।

581



इंदिरा
अधीक्षक (कैथाना)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
कैथाना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना दिनांक 04/10/22

नोटिस

[अन्तर्गत माहकअधि 1922 की धारा 72 (1) B]

नेव मे

दीनपुर उन्मर्दिन निमसी -
इकबलपुर, दुर्गौरी, धाना कैराना
नरसीन कैराना पश्चिम शामली।

अहमदनगर के फ़सलान ने आया है कि आपके द्वारा प्राप्त इकबलपुर दुर्गौरी तहसील कैराना जंगल शामली में स्थित 2020 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या-25 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत करना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/ कोई भी घर बानिकी कार्य किया जाना भावकअधि 1922 की धारा 63 के अन्तर्गत सख्त दण्डनीय अपराध है।

अतः आरत, उपेक्षा की जाती है कि जितरा खत पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, जलत न्यत के अन्तर्गत सहित दिनांक 10/10/22 को समय 06.00 AM तक मेरे कार्यालय में (घरा - दुल खंडी पुल, शामली) साम्य स्थित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे, अन्यथा आपके विरुद्ध अनियाम कार्यकारी कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। अतः दिनांक 04/10/22 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

582



दीन
अरुणेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैरना रेंज शामली।

मकईक

कैरना दिनांक १५/०६/१९८५

नोटिस

(अर्न्तगत भाठवअधि० १९८१ की धात ७२ (१), B)

देक न

नारक भुग भुगमईल निक्की-
शाकसुइर सुमईली शानाईरना
नरकिभ कैरना रिक्का रागरी

अराडिसनअरी के संज्ञान न अरा है कि आपके द्वारा शान अक्कसुइर सुमईली-
राहसील कैरना उनपर शामली न रिक्का ठाठव वन विभाग की भुमि छराय संख्या ~२१५
न अक्षेय रूप से भठन निर्माण किया गया है, आपकी अरगत कखाना है कि वन भुमि पर
अविधानम कर भयन निर्माण/कोई भी गिर वाजिकी कार्य किया जाना भाठवअधि० १९८१ की
धात ६३ के अर्न्तगत सखेय दण्डनीय अपराध है।

अन उनसे अपेक्षा की जाती है कि जित्त स्थल पर आपकी द्वारा भयन निर्माण
किया गया है, तलत स्थल के अखिलेवाई सहित दिनांक १०/०६/१९८५ को समय ११.००वजे मेरे
कार्यालय में (पता - पुल खंडी पुल, शानली) सादर सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट
करें, अन्यथा आपके खिलाफ अनियोजन मजिलीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
आज दिनांक ०६/०६/८५ को समय लगभग १०:३०वां बजे साथ उका नोटिस मेरे
कार्यालय पोखर मार्ग नारायण से जारी किया गया है।



सु
(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैरना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

नम्रोक

कैराना, दिनांक ०९/०१/२०१६

नोटिस

(अर्नामांक भा००४०अवि० १८२७ की धारा १२ (१) &)

लोगों ने

नीलामपुर डरनाम निगरी-
गडगपुर दुर्गमैडी- पाना काना
तलसिन कैराना विभाग शामली

उद्धारनामरों को संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा भान डमरपुर दुर्गमैडी-
तलसिन निगरी नामपर शामली में स्थित उ०प्र० वन विभाग की भूमि खराब संख्या ३१५

में अवैध रूप से भूजल निर्माण किया गया है, आपका अवगत कराना है कि वन भूमि पर
अतिरिक्त नाम पर भवन निर्माण/गोशुं भी गैर वास्तविकी कार्य किया भाना भा०४०अवि० १८२७ की
धारा ६३ के अन्तर्गत साक्ष्य पटवर्गीय अपराध है।

आप आरसे अवस्था की जाती है कि दिन ब्यत पर आपके द्वारा भवन निर्माण
किया गया है, वही भूजल के अन्तर्गत साक्ष्य दिनका १०/१६/२०१६... को समय १२:४० बजे मेरे
आवाजगत में (वतान- मुले डुकी मुले, शामली), लाना साक्ष्य उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट
करे, अवस्था आकर स्थिति अनियोजित गैरवास्तविकी वन विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायगी।
आप निर्माण ०६/१०/२०१६ को समय लगाना १०:४० बजे साथ उस नोटिस मेरे
आवाजगत पर भवन निर्माण करे, वही स्थिति भाना है।

585



राम
परमानंद कुमार
क्षेत्रीय वन अधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शानली।

पत्रांक

कैराना दिनांक ०४।११।९८

नोटिस

(अर्न्तगत भागअधिवि १९२७ की धारा ७२ (१) B)

संकेत नं०

शरीर पुर्ण पञ्चदीन निवर्त्ती-
कञ्चनपुर छुट्टी घाना कैराना
क्षेत्रीय क्षेत्रीय विभाग शानली-

उपराइस्ताक्षरी को संज्ञान में अर्पण है कि आपके द्वारा प्राप्त कञ्चनपुर छुट्टी-
तहसील कैराना जनपद शानली में स्थित चण्डा वन विभाग की भूमि इसल संख्या-२१५-
में अर्पण रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपके अदालत कराना है कि वन भूमि पर
अतिक्रमण काय भवन निर्माण/छाई नी नीचे बाधिका कार्य किया जाना भागअधिवि १९२७ की
धारा ६३ के अन्तर्गत सखीय पण्डनीय अपराध है।

586

जो आपसे अपेक्षा की जा रही है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण
किया गया है, तहसील के अधिकारी सहित विभाग No.16138... को समग्र 11/20/66 दल भेदे
अधिकारालय में (पता - पुल खेड़ी, पुल, शानली) सत्यता सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट
करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अनिवार्य पत्राधिकार कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
आपको दिनांक ०१।११।९८ का सत्यापन ज्ञान भागअधिवि १९२७ की धारा ७२ (१) B के नोटिस भेदे
आपको संज्ञान में अर्पण है।



० राजेश कुमार
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शानली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिल।

1990-1991

04/04/25

नोटिस

Journal of Management Inquiry 15(2) 107-121

119

—the 1954-55 season

[illegible][illegible]

587

अधिकांश नगरों में प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में स्थित हैं।

१५५
 श्रीमान् श्रीमान्
 श्रीमान् श्रीमान्
 श्रीमान् श्रीमान्
 श्रीमान् श्रीमान्

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैसाना रेंज शामली।

पत्रांक

कैसाना, दिनांक 04/10/18

नोटिस

आर्कानल मां0य0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में

राजीव प्रताप खन्निहिंग निवासी-
खजूरपुर-हैरी-शामली-कैसाना
स्टेशन-कैसाना, शामली

अपराधिताधारी को खोजान में आया है कि आपके द्वारा प्राप्त डाक-खजूरपुर-हैरी-
राहसील कैसाना जलपाद गामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की गृहि खपारा संख्या-218
में अवैध कप से भंडन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर
अतिक्रमण कर भवन निर्माण/काई भी पर गैरिकी कार्य किया जाना मां0य0अधि0 1927 की
धारा 63 के अंतर्गत सख्त दण्डनीय अपराध है।

जैत जंगल अधिष्ठा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण
किया गया है, जहाँ खेती के अतिरिक्त यहिह दिनांक 10/10/18..... को समयाधि0य0य0 के मेरे
कार्यालय में (पता - कुल चौकी पुल, शामली, संकल) स्थित उपस्थित स्टेशन आगनी स्थिति स्पष्ट
आगरे, अन्वेषा आगरे चित्तव अधिगीन यहाँकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
आप निम्नवा 64/10/18 का समया संगणन दि.02/09/18 बजे साव उपरा नोटिस मेरे
कार्यालय मोहर मां0य0अधि0 से जारी किया गया है।

588



राजीव प्रताप खन्निहिंग
क्षेत्रीय वनधिकारी
कैसाना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।
पत्रांक

कैराना दिनांक ०५/०८/८८

नोटिस

अन्तर्गत भा.प.अ.वि. १९२७ की धारा ७२ (१) B)

संकेत नं.

उपबन पुनर्वाकफ विभारी -
शेखरपुर, मुन्ही, थाना कैराना
मन्ही केराना वि. शा.श.सी

अन्तर्गत शा.श.सी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा धाम शेखरपुर मुन्ही में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर कानूनी कार्य किया जाना भा.प.अ.वि. १९२७ की धारा ६३ के अन्तर्गत सख्त वर्णनीय अपराध है।

आत आपने अपना को जानी है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, वहां स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक १०/१०/८६ को समय ११:००:०५ बजे में कार्यालय में (पता - पुल चौकी, पुल, शामली) सख्त साहित्य उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट कराया और आपके दिरुक्त अभियोग पत्रों को कर विधि का कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आप दिनांक ०५/०८/८८ को समय तीन बजे १०/०८/८८ बजे सायं उक्त नोटिस में उल्लिखित मांग कर न्यायालय के जारी किया गया है।

589



वक
शरवत कुमार
क्षेत्रीय वन अधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

470

09/10/2015

नोटिफ

आर्त्तात्त २०००००० १९९९ की एएच ७२ (१) ६)

卷七

सर्वोत्तमं त्वं हि निरालीनः शुकः ।
सुन्दरः शुकः केवलः निरालीनः ।

[illegible]

आ-आपने अंग्रेजा की जाती है कि जिस स्थान पर आपकी द्वारा भयान निर्माण किया गया है, तबले स्थान को अंग्रेजों को सहित विनाश *10.10.13*... को समय *11.00.00* बजे मेरे कार्यालय में (पता - पूरा खंडी, मुल, बामनी) फास्टा सहित परिधान होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अंग्रेजों और मेरे विचारों को संकेतित कर विधिक कार्यावली प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आ- निम्न *04.10.13* को समय लगाना *12.30.00* बजे शाम उठता गोदिस मेरे कार्यालय में और तबले स्थान को सहित विनाश *10.10.13*...



(राजेश कुमार)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 कैरना रेव
 नामदी

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैरना रेंज शामली।

प्रश्नक

कैरना, दिनांक ०५/०१/१८

नोटिस

(आर्वाणत भाए-२०अवि० १९२१ की धारा ७२ (१) B)

नेवा है

गोपीरंजन शुक्ल भिखारी -
अन्नपुर सुन्ही छाता कैरना
संक्षेप क्षेत्र का निवासी

अध्याहिरतक्षरों को संयोजन में आया है कि आपके द्वारा ग्राम अन्नपुर सुन्ही क्षेत्र लक्ष्मील कैरना जनपद शामली में स्थित चण्डा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या-२७ में अति कम से भूतन विनाश किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अधिग्रहण कर भवन निर्माण/कॉई भी गैर वास्तुकी कार्य किया जाना भा०२०अवि० १९२१ की धारा ६३ के अन्तर्गत संक्षेप दण्डनीय अपराध है।

591

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि त्वरित स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, त्वरित स्थल को अधिग्रहण संहिता दिनांक १६/०१/१८ को समय ११/१८०० बजे मेरे कार्यालय में (पत्रा - पुल छोटी पुल, शामली) सजाया सहित जमास्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करते अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पेशकीकृत करने विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

अतः दिनांक ०५/०१/१८ को जनपद शामली के अन्नपुर, बाको संतव छाता नोटिस नैरे कार्यालय संक्षेप दण्ड प्रत्यक्षर से जारी किया गया है।



धन
अध्यापक कुमार
क्षेत्रीय वन अधिकारी
कैरना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 01/10/95

नोटिस

(अर्न्तगत भागवत्अधि 1927 की धारा 32 (1) B)

लेन दे

इरिका पुन स्थापना किसानी-
अकबरपुर गुन्हेडी शाना क्षेत्रगत
खेतील किसान किसान शानाभी

अधिकास्तकसरो ले सञ्चालन मे अया है कि आपके द्वारा अग अकबरपुर गुन्हेडी-
लखसील कैराना जन्मपद शानाभी मे स्थित 20000 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या-218
मे अवेब रूप से भयन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर
अतिक्रमण कर भयन निर्माण/खोई भी नर गांविकी कानून किता जाना भागवत्अधि 1927 की
धारा 63 के अर्न्तगत सक्केर दण्डनीय अपराध है।

उन जानकारी आपका की जाती है कि विश्व स्थल पर आपको द्वारा भयन निर्माण
करकेया गया है खलन स्थल के अन्तर्गत सहित विनांक 10/10/1987..... को समय 11:00:00 बजे मे
अध्यात्म मे (मता)- दूर खोई पुल, शानाभी, ताबडा सहित उपस्थित शीकर अपनी स्थिति स्पष्ट
करे, अन्यथा आपका विस्तृत अन्वेषण माँकीकृत कर शिक्षक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
आप दिनांक 01/10/95 को समय लगाना 12:00:00 बजे धाय उक्त नोटिस मेरे
कार्यालय माँकर को न्यायाभार के जारी किया गया है।



विश्व
परामेश कुमार
क्षेत्रीय वनधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना, दिनांक ०५/०६/१८

नोटिस

(अर्न्तगत भा030अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

समवेत पुनर्-सौंपि-निवासी-
शमलापुर टुनहेरी-बाग-कैराना
महोदय कैराना विभाग शामली-

अदालतगारों के प्रधान में आया है कि आपके द्वारा प्राप्त अनुमतिपत्र हेतु-
तहसील कैराना कमण्ड बागली में स्थित 20500 वन विभाग की भूमि खरवा संख्या-120
में अवैध रूप से गठन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कथाना है कि वन भूमि पर
अतिक्रमण कर भयान निर्माण/काई भी गैर कानूनी कार्य किया जाना भा030अधि0 1927 की
धारा 62 के अन्तर्गत सखीय दण्डनीय अपराध है।

आज आपके आदेश भी जारी है कि जिस स्थान पर आपको द्वारा भयान निर्माण
किया गया है, जहां स्थल के अदिलखी सहित दिनांक 16.10.19... की समय 10.36.45 बजे मेरे
कार्यालय में (पत्रा- मुल खेडी मुल, शामली) सफा सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट
करे, अन्यथा आतंक विरुद्ध अभियान संचालित कर दंडित कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
आज दिनांक 04.06.18 का समय लगभग 10.36.45 बजे सायं जका नोटिस मेरे
कार्यालय मोहर पत्रा- शमलापुर से जारी किया गया है।

593



सि
ई (समय कुमाय)
क्षेत्रीय वन-अधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पञ्चाव

कैराना दिनांक 04/10/22

नोटिस

अर्जागत भागधारी 1927 को धारा 72 (1) B)

नोट नं.

राष्ट्रपति पुर मलकाव निवासी
इन्टरपुट कुम्हटी पाना कैराना
रखीव कैराना विभाग शामली

अप्रतिपक्षीय के अज्ञान के अभाव है कि आपके द्वारा पान इन्टरपुट कुम्हटी पाना पुर मलकाव निवासी ने स्थित 30000 वन विभाग को नुति कराया संख्या - 127 में अर्जागत के अज्ञान निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन नुति पर अतिरिक्त का अज्ञान निर्माण/कोई भी गैर वास्तविक कार्य किया जाना भागधारी 1927 को धारा 63 के अन्तर्गत सख्त दण्डनीय अपराध है।

अज्ञान के अभाव के अज्ञान है कि जिस स्थान पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, वहाँ भवन के अन्तर्गत सहित विनाश भागधारी 1927 को समाप्त। वहाँ मेरे कार्यक्षेत्र में पाना - वहाँ छोटी पूरा, शामली) अज्ञान सहित अवस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करते, अज्ञान अज्ञान विनाश अज्ञान परीक्षा के बाद विनाश जांचवाली प्रमाण कर दी जायेगी। अज्ञान विनाश अज्ञान का समय लगाना 14/10/22 को रात उक्त नोटिस के अज्ञान के अज्ञान अज्ञान के अज्ञान है।

594



प्रतिपक्षीय पुर
क्षेत्रीय वन अधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना दिनांक १९/०८/२५

नोटिस

(अर्न्तगत भा० व० अधि० १९२७ की धारा ७२ (१) B)

क्या है

गय्युर पूरा जफरा नि०
बस्नावी त० कैराना जिला
शामली

अध्याहस्ताधारी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बस्नावी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ० प्र० वन विभाग की भूमि खसरा संख्या २०४ में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा० व० अधि० १९२७ की धारा ६३ के अर्न्तगत सजाय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक ०९/०८/२५ को समय ११:०० AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेकी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके दिल्दह अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक को समय लगभग बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

Shamli Mandi 30 247776
KL RU449868526IM, IVR No: 18002668888
02-09-2025 14:10:46, Counter No.
To: GAYYUR
BARNABI, SHAMLI, 247774
FROM: VAN VISHAG
KAIRANA, SHAMLI, 247774
Base Amt: 22.00
To: GAYYUR
P.Mode: Cash
POB: No, www.indiapost.gov.in



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

Booking Ref.ID: 31661189020000
No of Arti-1

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना, दिनांक

23/08/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में

रश्मिद 3066/25, नि०
वसुधायी वन अधिकारी, कैराना
जिला शामली

अद्याहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम कैराना तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ०प्र० वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 204 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा०व०अधि० 1927 की धारा 83 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अमिलेखों सहित दिनांक 03/09/2025 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अज दिनांक को समय लगभग बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

Shamli Mandi SO 247776
FL RU449868512IN, IVR No: 10002866658
02-09-2025 14:10:13, Counter No. 1
To: RASHEED
BARNABI, SHAMLI, 247774
From: VAN VISHAG
KAIRANA, SHAMLI, 247774
Base Amt: 22.00
To: RASHEED
P.Mode: Cash
POD: No, www.indiapost.gov.in



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रिका

कैराना दिनांक 29/08/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

महन्दा पुत प्यारा नि०
बरनाची तहसिल
शामली

प्रशासक के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बरनाची तहसील कैराना जामपुर शामली में स्थित उ०प्र० वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 204 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा०व०अधि० 1927 की धारा 83 के अन्तर्गत सजाय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 09/08/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुत खेदी पुत, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अज दिनांक को समय लगभग बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मंहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

Shanli Mandi SO 247776
RL RU449868509IN, IVR No: 18002886860
02-09-2025 14:09:40, Counter No.
To: MAHANDA
BARNAVI, SHAMLI, 247774
From: VAN VIBHAG
KAIRANA, SHAMLI, 247774
Base Amt: 22.00
To: MAHANDA
P. Mode: Cash
POD: No, www.indiapost.gov.in



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 29-08-2025

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

रियासत पुत्र अलीहसन
मै० बरनावी त० कैराना
शामली

अद्यावत्तकरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बरनावी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 364 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत सजाय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 03/09/25 को समय 11:00AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अज दिनांक को समय लगभग बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय नोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

Shamli Mandi SO 247776
HL RU449868565IN, IVR No: 1800000000
02-09-2025 14:09:09, Counter No.
To: RIYASAT
BARNAVI, SHAMLI, 247774
From: VAN VIBHAG
KAIRANA, SHAMLI, 247774
Base Amt: 22.00
To: RIYASAT
P.Mode: Cash
POD: No, www.indiapost.gov.in



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 29-08-2025

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में

सन्देश पुत्र रामा नि०बरनावी तहसिलजिला (शामली)

अद्यावत्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बरनावी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ०प्र० वन विभाग की भूमि खसरा संख्या-139 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा०व०अधि० 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अनिलेखों सहित दिनांक 09/09/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अज्ञ दिनांक को समय लगभग बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

Shamli Mandi SO 247776
 RI RU449868557IN, IVR Mol: 18002668968
 02-09-2025 14:08:27, Counter No. 1
 To: SALENDRA
 BARNABI, SHAMLI, 247774
 From: VAN VISHAG
 KAIRANA, SHAMLI, 247774
 Base Amt: 22.00
 To: SALENDRA
 P. Mode: Cash
 POD: No. www.indiapost.gov.in



(राजेश कुमार)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 कैराना रेंज
 शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

-

/

कैराना, दिनांक

29.8.2025

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

वासिल पुत मधुब नि०
बरनावी तहसील कैराना
जिला शामली

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम - **बरनावी** तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ०प्र० वन विभाग की भूमि खसरा संख्या-139 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 83 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 03/09/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल छोडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अज्ञात दिनांक को समय लगभग बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

Shamli Mandi SO 247776
 RL RU449868441IN, IPR No: 18002600000
 02-09-2025 14:07:37, Counter No. 1
 To: VASIL
 BARNABI, SHAMLI, 247774
 From: VAN VISHAG
 KAIRANA, SHAMLI, 247774
 Base Amt: 22.00
 To: VASIL
 P.Mode: Cash
 POD:No, www.indiapost.gov.in



(राजेश कुमार)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 कैराना रेंज
 शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

/

कैराना, दिनांक 29/08/2025

नोटिस

(अर्न्तगत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

डा. फारुख अहमद खान मि०
वसुन्धी तहसील कैराना
जिला शामली

अद्योहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम वसुन्धी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ०प्र० वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 204 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा०व०अधि० 1927 की धारा 63 के अर्न्तगत सज्जेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 03/09/25 को समय 11:00 बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अज दिनांक को समय लगभग बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

Shamli Mandi 90 247776
RL RU449868490IN, IVR No: 19002668868
02-09-2025 14:07:09, Counter No. A
To: AFSAR
BARNALI, SHAMLI, 247774
FROM: VAN VIBHAG
KAIRANA, SHAMLI, 247774
Base Amt: 22.00
To: AFSAR
P. Mode: Cash
POD: No, www.indiapost.gov.in



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

नम्र

दिनांक 29/08/25

नोटिस

(अन्तर्गत मा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B ;

लक्ष्य

सारिक पुत्र जिकरा
मि० मय्यादी म० कैराना
शामली

उद्घाहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम ~~खजुरी~~ सहस्रील कैराना जनपद शामली में स्थित उ०प्र० वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 204 में अश्वत्थ कृष से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना मा०व०अधि० 1927 की धारा 83 के अन्तर्गत सज्जेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 09/09/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खंडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अज दिनांक को समय लगभग बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मांहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

Shamli Mandi SO 247776
RL RU449060296IN, IVR No: 18002666868
02-09-2025 14:06:37, Counter No: 1
To: SARIN
BARNAYI, SHAMLI, 247774
From: VAN VIBHAG
KAIRANA, SHAMLI, 247774
Base Amt: 22.00
To: SARIN
P. Mode: Cash
FOD: No, www.ladiapost.gov.in



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिली।

पत्रांक

कैराना दिनांक २९-०८-२०२५

नोटिस

(अन्तर्गत भा०व०अधि० १९२७ की धारा ७२ (१) B)

सेवा में,

इन्तिास पुत्र अम्बल नि०
बस्नावी तहसिल कैराना जिला
शामली

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बस्नावी तहसील कैराना जनपद शामिली में स्थित उ०प्र० वन विभाग की भूमि खसरा संख्या-३०४ में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा०व०अधि० १९२७ की धारा ६३ के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक ०३/०९/२५ को समय ११:०० बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामिली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अनियोजित पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। आज दिनांक को समय लगभग बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

Shamli Mandi SO 247774
RL RU449868282IN, IPR Mol: 19002866066
02-09-2025 14:06:05, Counter No. 1
To: INTIYAS
BARNABI, SHAMLI, 247774
From: VAN VISHAG
KAIRANA, SHAMLI, 247774
Base Amt: 22.00
To: INTIYAS
P. Mode: Cash
POD: No, www.indiapost.gov.in



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिली।

पत्रांक

कैराना, दिनांक

29-08-2025

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

हालिम पुत्र सुल्तान
वि० वरनावा तहसील जमान
जिला शामिली

अद्योहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम वरनावा तहसील कैराना जनपद शामिली में स्थित उ०प्र० वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 204 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा०व०अधि० 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 09/09/25 को समय 11:00 बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामिली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक को समय लगभग बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

Shamli Mandi SO 247776
SL RU449868265IN, IVR No: 1800286886
02-09-2025 14:04:53, Counter No. 1
To: TALEEM
BAPNAVI, SHAMLI, 247774
From: VAN VISHAG
KAIRANA, SHAMLI, 247774
Base Amt: 22.00
To: TALEEM
P.Mode: Cash
POD:No, www.indiapost.gov.in

भारतीय डाक

India Post



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0ब0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

रिपुलु पुल डकुमु मिवासी
बरनावी थाना कैराना
तह कैराना जिला शामली

अद्याहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बरनावी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खरारा संख्या १०३ में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0ब0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:00AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

ठाकुर पुत्र अमृत निवासी
बरनखी घाना कैराना
रेंज कैराना जिला शामली

अधोहस्ताक्षरी को संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बरनखी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 203 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/06/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता - पुल खेड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।




श्री राजेश कुमार
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिली।

पत्रांक

कैराना दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

श्री नू पुन डोमप्रकाश मिश्राजी
 खरनावी धामा कैराना
 तहकैराना जिला शामिली

अध्याहरताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम खरनावी तहसील कैराना जनपद शामिली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खरारा संख्या 203 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत सज्जेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता - पुल खेड़ी पुल, शामिली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:00 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।




 (राजेश कुमार)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 कैराना रेंज
 शामिली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में

श्रीमच्छंद पुत्र प्रकाश मिश्रा
वरगावी ग्राम कैराना
तहसील कैराना जिला शामली

अद्यावस्तावरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम वरगावी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या १६३ में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/06/25 को समय 12:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अतः दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

कैराना दिनांक 06/10/25

पत्रांक

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में

ताराचंद पुत्र पीरछी निवासी
बरनावी ग्राम कैराना
तहसील शामली

अद्याहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बरनावी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 203 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर दिव्यिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अतः दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।




*(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना दिनांक ०४/१०/२५

नोटिस

(अन्तर्गत भा० व० अधि० १९२७ की धारा ७२ (१) B)

सेवा में

मैजिस्ट्रेट सुदीराम निवृत्ती
वरजावी थाना कैराना
तहसील कैराना जिला शामली।

अध्याहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम वरजावी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ० प्र० वन विभाग की भूमि खसरा संख्या १०३ में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा० व० अधि० १९२७ की धारा ६३ के अन्तर्गत संश्लेष्य दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक ११/१०/२५ को समय ११:३० बजे मेरे कार्यालय में (पता - पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक ०४/१०/२५ को समय लगभग १५:३० बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिल।

पत्रांक

कैराना दिनांक 04/10/25

नोटिस

(अर्न्तगत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B.)

सेवा में

शमशेरपुर डमरा मियाजी
कैराना रेंज शामिल
तत्कालीन विचार शामिल

अद्यावत्तक के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम तहसील कैराना जनपद शामिल में स्थित ख0प्र0 वन विभाग की भूमि खरारा संख्या 263 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अर्न्तगत संश्लेष्य दण्डनीय अनुरोध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जितन स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, तत्काल स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 11/10/25 को समय 11:30 AM बजे मेरे कार्यालय में (मकान- पुल खेड़ी पुल, शामिल) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। अतः दिनांक 11/10/25 को समय लगभग 11:30 AM बजे सांम उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



शमशेरपुर डमरा मियाजी
कैराना रेंज शामिल

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिली।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 04/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B.)

सेवा में,

सुरक्षित एका सहीराम द्विवेदी
वरनासी शाना कैराना
तहसील जिला शामिली।

अद्यावस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम वरनावी तहसील कैराना जनपद शामिली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 263 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 11/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता - पुल खेडी पुल, शामिली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 04/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामिली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिली।

कैराना दिनांक 04/10/95

पत्रांक

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में

शिवकुमार कुमा विज्ञान निवासी
बलावी घाटा कैराना
तहसील कैराना जिला शामिली

आवाहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बलावी तहसील कैराना जनपद शामिली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 903 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 11/10/95 को समय 11:00AM बजे मेरे कार्यालय में (पता - पुल खेड़ी पुल, शामिली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अब दिनांक 04/10/95 को समय लगभग 10:30AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना दिनांक 04/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में

शास्त्रीन पुत्र लुहर निवासी
बरनावी ग्राम कैराना
तहसील कैराना जिला शामली

अद्यावस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बरनावी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 203 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 11/10/25 को समय 11:00 बजे मेरे कार्यालय में (पता:- पुल खेड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अतः दिनांक 04/10/25 को समय लगभग 10:30 बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।




(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना दिनांक ०१/१०/१५

नोटिस

(अन्तर्गत भा०व०अधि० १९२७ की धारा ७२ (१) B.)

सेवा में

~~श्री कृष्ण प्रसाद मुखर्जी~~
~~बरनधी ग्राम कैराना~~
~~तहसील कैराना जिला शामली~~

अध्याहरताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम ~~बरनधी~~ तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ०प्र० वन विभाग की भूमि खसरा संख्या १०३ में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा०व०अधि० १९२७ की धारा ६३ के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक ०१/१०/१५ को समय ११:००:०० बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अतः दिनांक ०१/१०/१५ को समय लगभग १०:३०:०० बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।




 ० (राजेश कुमार)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 कैराना रेंज
 शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिल।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 04/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में

हारिम पुत्र जफरा निवासी
बरनाबी धाना कैराना
तहसील कैराना शामिल।

अद्यावत्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बरनाबी तहसील कैराना जनपद शामिल में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 903 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 11/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामिल) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अज दिनांक 04/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना दिनांक 04/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में

हासिम पुत लफरा निवासी
बरनाबी, ग्राम कैराना
तहसील कैराना जिला शामली

अद्याहरताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बरनाबी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 903 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 11/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता - पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अज दिनांक 04/10/25 को समय लगभग 01:30 PM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(रजिश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

/

कैराना दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B.)

सेवा में,

सौ. पुत्र खेडी पुल निवासी
बरनाली ग्राम कैराना
तह कैराना जिला शामली

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बरनाली तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 205 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिली।

पत्रांक

/

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में

हाम्म झली पुल निवाकत निवासी
 बरनाली धाना कैराना
 ठठ कैराना जिला शामिली

अद्योहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बरनाली तहसील कैराना जनपद शामिली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 305 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 01/10/25 को समय 11:00AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामिली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 11:00AM बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 कैराना रेंज
 शामिली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

/

कैराना दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में

मुल्हकीम पुत्र असरफ मिश्रा
बत्तावी थाना कैराना
तह कैराना, जिला शामली

अद्योहरताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम ~~करनावी~~ तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 205 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:00 बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजिकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।




(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

विष्णु पुल अस्सफ निवासी
बनवाडी ग्राम कैराना
तह कैराना, जिला शामली

अद्योहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बनवाडी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 205 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 06/10/25 को समय 11:00 बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजिकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

/

कैराना दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B.)

सेवा में,

महाराज पुल हासिम प्रियंसी
 खरनाली ग्राम कैराना
 तह कैराना जिला शामली

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम खरनाली तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 205 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 21/10/25 को समय 11:00AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजिकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 कैराना रेंज
 शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

/

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

राजवीर पुल खेड़ी निवासी
करनावी ग्राम, कैराना
तहसील, जिला शामली

अद्योहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम करनावी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 205 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 06/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजिकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक /

कैराना दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में

सुप्रीम पुल गुरुद्वारा निवासी
~~करनाली शाना कैराना~~
~~तहसील शामली~~

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम ~~करनाली~~ तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 285 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।




 (राजेश कुमार)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 कैराना रेंज
 शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिली।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

आरुषि पुत्र श्री विवारी
वरनवी धाना कैराना
तह कैराना जिला शामिली

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम वरनवी तहसील कैराना जनपद शामिली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 205 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:30 बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेड़ी पुल, शामिली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

/

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

~~उत्तमान पुत्र दुल्लाम निवासी~~
~~बल्लावी शाखा कैराना~~
~~तह कैराना जिला शामली~~

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बल्लावी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 365 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/06/25 को समय 11.00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10.30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।




 (राजेश कुमार)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 कैराना रेंज
 शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिली।

पत्रांक

/

कैराना दिनांक 26/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

~~साविद पुत्र सतीश चित्तारी~~
~~वरजाती तहसिल कैराना~~
~~जिला शामली~~

अद्योहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम ~~वरजाती~~ तहसील कैराना जनपद शामिली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 186 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 26/10/25 को समय 11:00 बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेड़ी पुल, शामिली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजिकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 26/10/25 को समय लगभग 10:30 बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 कैराना रेंज
 शामिली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

प्रमाण पुत्र क्लिपशद नि 0
बख्शी नरेश्वर
श्रीमान शामली

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम ~~अजमली~~ तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 186 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है। आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:00 बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

शहजद पुत्र अछातर नि 0
बस्ती न 0 कैराना
शामली

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम ~~बस्ती~~ तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 186 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 19/10/25 को समय 11:00 बजे मेरे कार्यालय में (पता— पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(रजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक /

कैराना दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

सोने पुत्र इरप्रम नि 0
बुगुवा त 0 कैराना
शामली

अद्योहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बुगुवा तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 186 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 06/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता— पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिली।

पत्रांक

/

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

समिद्ध पुत्र जसवीर निवासी
वरगवी तहसील
शामली

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम वरगवी तहसील कैराना जनपद शामिली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 133 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत सज्जेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता— पुल खेड़ी पुल, शामिली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

मीनिम पुन सुहृदय मि ठ
बरनकी त ठ कैराना
जिला शामली।

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बरनकी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित च0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 199 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:00AM बजे मेरे कार्यालय में (पता— पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 कैराना रेंज
 शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अर्न्तगत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में

यमदीन पुत्र शाहदीन निवा
वरनगी तहसील
शामली

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम वरनगी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 159 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अर्न्तगत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:00AM बजे मेरे कार्यालय में (पता— पुल खेड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिल।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0द0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

जमीन पुल खेड़ी पुल नि.व.
बनानी तहसील
जिला शामिल।

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम ~~खजवा~~ तहसील कैराना जनपद शामिल में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या-139 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0द0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेड़ी पुल, शामिल) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामिल

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिली।

पत्रांक

कैराना दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

श्री श्री पुत्र जगदलाल
वरनाथी त 0 कैराना
खिला दाम्पती

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम ~~वरनाथी~~ तहसील कैराना जनपद शामिली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 199 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेड़ी पुल, शामिली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना-रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

भा.वि. पु. महसुद नि.०
 वनधी तहकैराना
 जिला शामली

अद्योहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम वनधी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ०प्र० वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 139 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा०व०अधि० 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:00AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 कैराना रेंज
 शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिली।

पत्रांक

कैराना दिनांक 06/10/85

नोटिस

(अन्तर्गत भा0ब0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

महमूद पुल काबुलीन
निवासी नर कैराना
शामली

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम वरतावी तहसील कैराना जनपद शामिली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 133 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0ब0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/85 को समय 11:00 बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खंडी पुल, शामिली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/85 को समय लगभग 10:30 बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(रजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

/

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

सावित्र पुत्र सुमन निवासी
तह कैराना रेंज शामली

अद्योहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम वरनाली तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 139 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:00AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30AM बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

/

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

ठाकुरास पुत्र जनपद नि: बस्ती तहसील कैराना जिला
शामली

अधोहरताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम करनवी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 199 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 21/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हरताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना-रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

रामकुमार पुत्र दीपचंद निवा
 कान्हा तह कैराना तहसील
 शामली

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम ~~करनाली~~ तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 199 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 कैराना रेंज
 शामली

641

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

/

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

रामफल पुत्र रामचंद्र सिंह
कानूनी तह कैराना
शामली

अद्योहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम कानूनी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 131 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:00AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजिकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30AM बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

जरीद पुत्र मीरहसन नि०
 तरनावी तह कैराना
 जिला शामली

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम तरनावी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ०प्र० वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 131 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा०व०अधि० 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संश्लेष्य दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता— पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 कैराना रेंज
 शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना-रेंज शामली।

पत्रांक

/

कैराना दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में,

शक्तिम सुत ऊज्जहरन नि:
 बरनवी त ठ कैराना
 अजित शामली।

अद्योहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बरनवी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या-131 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/10/25 को समय 10:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना-रेंज शामिल।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में

सकीरा पुत्र कमल सिंह
 वरखी तहसील कैराना जिला
 रायबरी

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम ~~वरखी~~ तहसील कैराना जनपद शामिल में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या-191 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 06/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामिल) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 कैराना रेंज
 शामिल

The photographs of the demarcation of forest land in village Akbarpur Sunheti



646





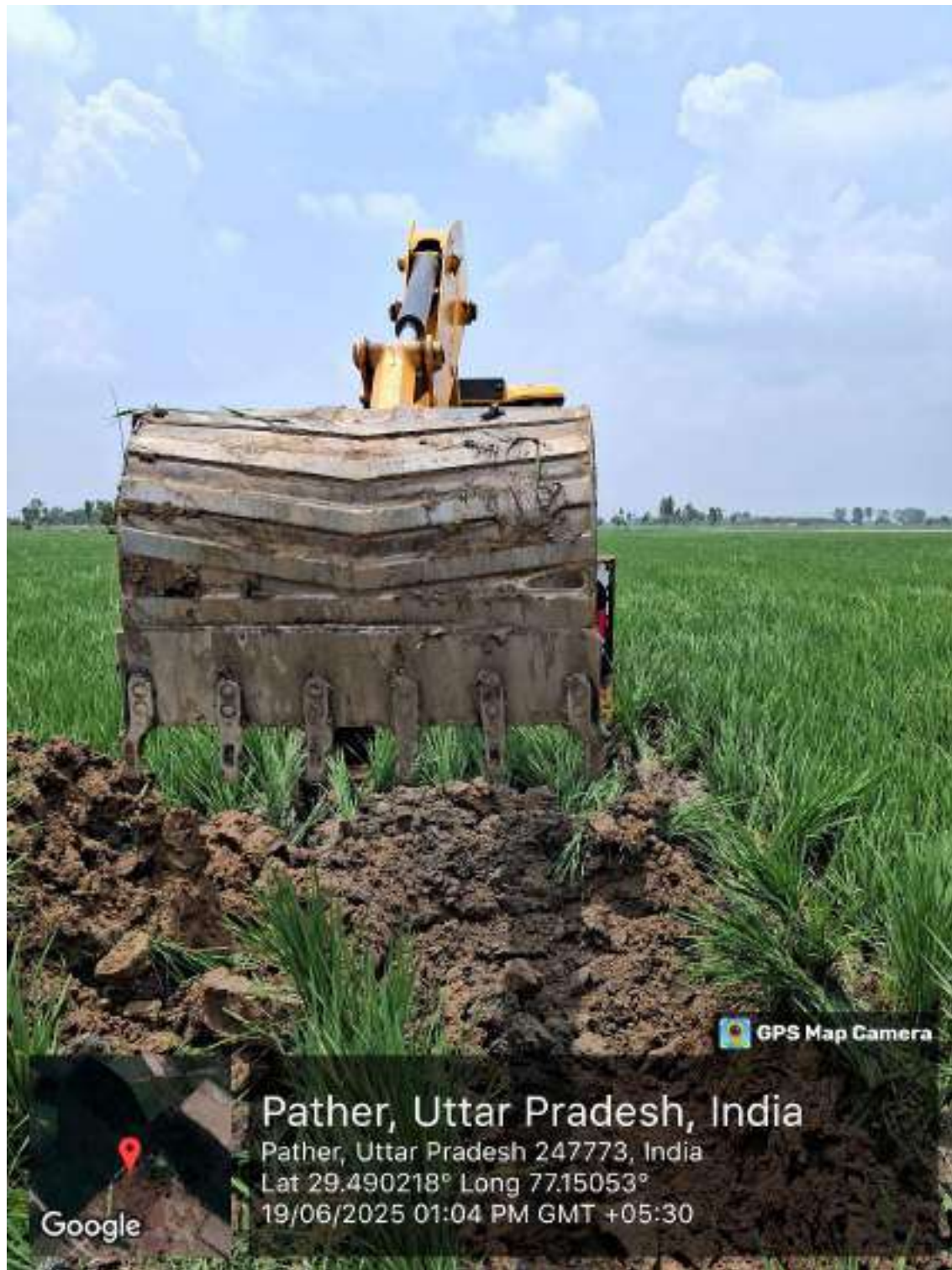
648



649

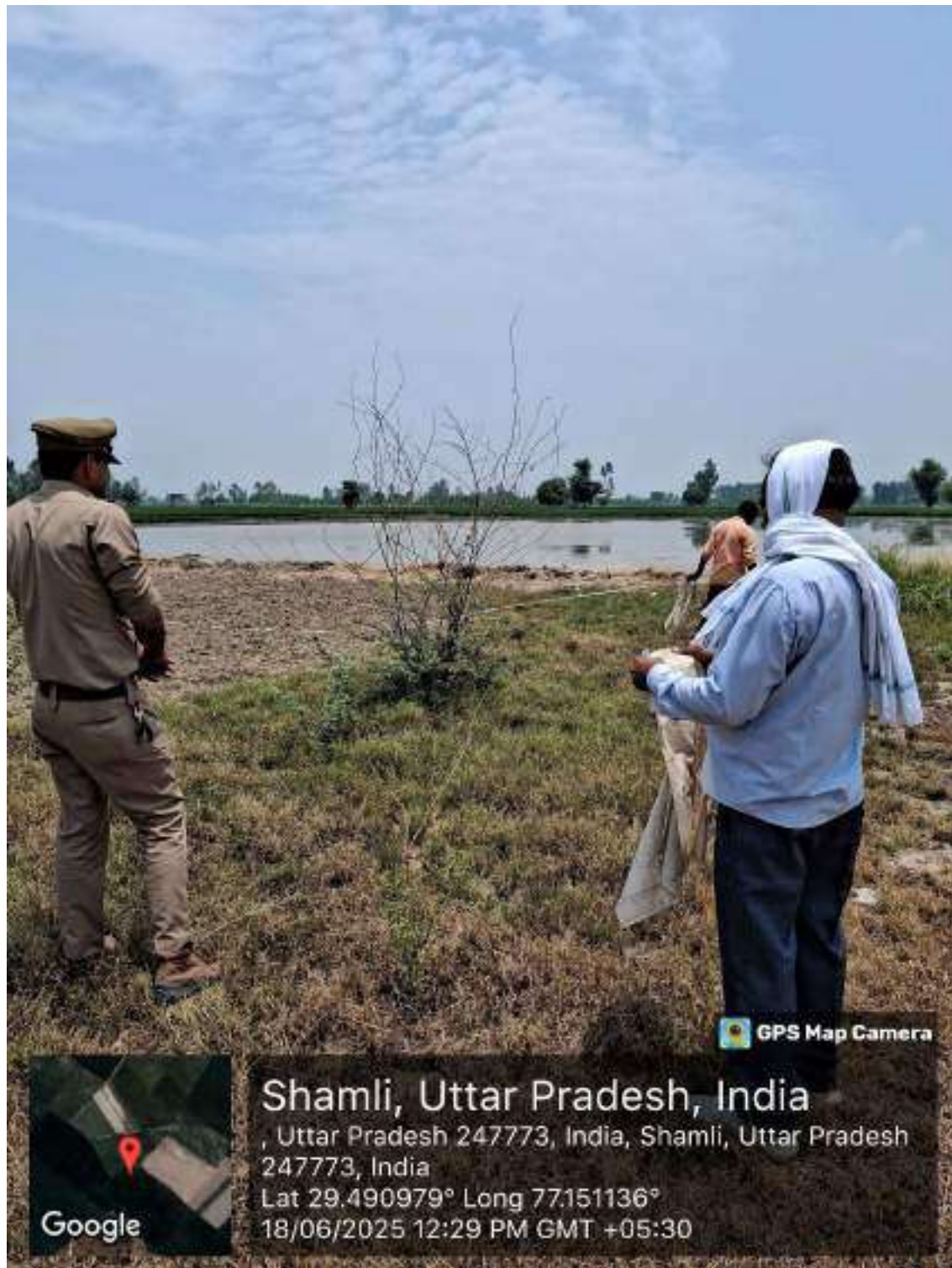


650



651







कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली।

कार्यालय पता - शामली-प्राणीय मार्ग, निकट गडर पुलखेदी, शामली ई-मेल आई.डी. dfeshamli2012@gmail.com

पत्रांक 324 / 14-1 दिनांक, शामली, 13-08-2025

सेवा में,

Annexure-5

उप जिलाधिकारी

कैराना।

विषय-

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या 915/2024 अमित कुमार बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु निर्देश पारित किये गये हैं, जिसके क्रम में वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त पैमाईश का कार्य कराया गया, पैमाईश के दौरान इस वन प्रभाग की ऊन रेंज के अंतर्गत ग्राम बीबीपुर जलालाबाद में खसरा संख्या 173, 125 आदि जों वन भूमि है पर ग्रामीणों द्वारा मकान बने हुए पाए गए जिसमें इस कार्यालय द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख-(2) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बेदखली आदेश पारित किये गये हैं। अब माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कार्यवाही की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप उक्त अतिक्रमण वन भूमि को एंटी भू-माफिया पोर्टल पर अपलोड कराते हुए वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जे.डी.सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
शामली वन प्रभाग

शामली।

संख्या 324 / 14-1 दिनांकित।

1- प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उक्तानुसार उपजिलाधिकारी कैराना से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर उक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें और कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराये।

(जे.डी.सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
शामली वन प्रभाग

शामली।





भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 12.11.2024 को निर्गत वन अपराध संख्या 12/2024-25 बनाम सुनील कुमार पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-2 व 26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि सुनील कुमार पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 125 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 2230/14-1, दिनांक 16.05.2025 द्वारा सुनील कुमार पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 23.05.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

सुनील कुमार पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा० उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी०एन०गोड्डावर्मे बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर सुनील कुमार पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा सें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा। उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 18.08.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमण वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति सुनील कुमार पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तागत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 12.11.2024 को निर्गत वन अपराध संख्या 12/2024-25 बनाम जयवीर पुत्र राजसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-2 व 26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि जयवीर पुत्र राजसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 125 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 2229/14-1, दिनांक 16.05.2025 द्वारा जयवीर पुत्र राजसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 23.05.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

जयवीर पुत्र राजसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना माओ उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टीओएनगोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर जयवीर पुत्र राजसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमणित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अर्द्धहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति जयवीर पुत्र राजसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत वेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 12.11.2024 को निर्गत वन अपराध संख्या 12/2024-25 बनाम रमेशचन्द पुत्र रतन सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-2 व 26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा प्रयोग किया है कि रमेशचन्द पुत्र रतन सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 125 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा 26 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए वेदखली के आदेश पारित करने का प्रनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रक 2228/14-1, दिनांक 16.05.2025 द्वारा रमेशचन्द पुत्र रतन सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 23.05.2025 तक अपना कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

रमेशचन्द पुत्र रतन सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना माउ उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु वेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर रमेशचन्द पुत्र रतन सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा ले अन्यथा 10 दिन बाद यत्न पूर्वक कब्जा हटा दिया जावेगा।

उक्त वेदखली आदेश आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे न्यायालय की मोटर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमणित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अधीहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति रमेशचन्द पुत्र रतन सिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

न्यायालय
प्राधिकृत अधिकारी/
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली
(उ0प्र0)

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 28.03.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 17/2024-25 बनाम जगपाल पुत्र रहतु, निवासी ग्राम बीबीपुर जलालाबाद, थाना डिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि जगपाल पुत्र रहतु, निवासी ग्राम बीबीपुर जलालाबाद, थाना डिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 173 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 2227/14-1, दिनांक 18.05.2025 द्वारा जगपाल पुत्र रहतु, निवासी ग्राम बीबीपुर जलालाबाद, थाना डिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 25.06.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

जगपाल पुत्र रहतु, निवासी ग्राम बीबीपुर जलालाबाद, थाना डिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा० उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95 टी०एन०गोडावर्मेन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर जगपाल पुत्र रहतु, निवासी ग्राम बीबीपुर जलालाबाद, थाना डिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा ले अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

2- जिलाधिकारी, शामली।

3- पुलिस अधीक्षक, शामली।

4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।

5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।

6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमण वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहरताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति जगपाल पुत्र रहतु, निवासी ग्राम बीबीपुर जलालाबाद, थाना डिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तागत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 26.03.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 17/2024-25 बनाम मांगा पुत्र रामा, निवासी ग्राम बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि मांगा पुत्र रामा, निवासी ग्राम बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 173 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 2226/14-1, दिनांक 16.05.2025 द्वारा मांगा पुत्र रामा, निवासी ग्राम बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-वी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 23.05.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

मांगा पुत्र रामा, निवासी ग्राम बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर मांगा पुत्र रामा, निवासी ग्राम बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमण वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति मांगा पुत्र रामा, निवासी ग्राम बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तागत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 26.03.2025 को निर्गत वन अपराध सख्या 17/2024-25 बनाम कविता पत्नी प्रेम, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना डिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि कविता पत्नी प्रेम, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना डिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खासरा सख्या 175 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा 26 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिक कार्यवाही करने हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 2225/14-1, दिनांक 16.05.2025 द्वारा कविता पत्नी प्रेम, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना डिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर मोटरों के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 23.05.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

कविता पत्नी प्रेम, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना डिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मो० उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका सख्या 202/95, टी०एन०गोडालमन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर कविता पत्नी प्रेम, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना डिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा ले अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे न्यायालय की मोटर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
(शामली)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमणित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति कविता पत्नी प्रेम, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना डिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तागत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
(शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 26.03.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 17/2024-25 घनाम मांगा पुत्र आशा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि मांगा पुत्र आशा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 173 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विशेषक कम में इस कार्यालय के पत्रांक 2224/14-1, दिनांक 16.05.2025 द्वारा मांगा पुत्र आशा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 23.05.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

मांगा पुत्र आशा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मांग उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टीओनोगोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर मांगा पुत्र आशा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमण वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति मांगा पुत्र आशा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत वेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 26.05.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 17/2024-25 बनाम मोहर सिंह पुत्र आशा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना डिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि मोहर सिंह पुत्र आशा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना डिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 173 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विनियम कार्यवाही करते हुए वेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 2223/14-1, दिनांक 18.05.2025 द्वारा मोहर सिंह पुत्र आशा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना डिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर दत्त हुए दिनांक 23.05.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

मोहर सिंह पुत्र आशा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना डिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना भी उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडवर्मेन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु वेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर मोहर सिंह पुत्र आशा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना डिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद वल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त वेदखली आदेश आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन सखक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमण वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति मोहर सिंह पुत्र आशा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना डिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 26.03.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 17/2024-25 वनाम मुकेश पुत्र सीरिया, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना डिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि मुकेश पुत्र सीरिया, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना डिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 173 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 2222/14-1, दिनांक 16.05.2025 द्वारा मुकेश पुत्र सीरिया, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना डिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 23.05.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

मुकेश पुत्र सीरिया, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना डिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना नग्न उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मेन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर मुकेश पुत्र सीरिया, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना डिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमण वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति मुकेश पुत्र सीरिया, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना डिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली



भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 26.03.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 17/2024-25 बनाम बिलेन्द्र पुत्र जगदीश, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि बिलेन्द्र पुत्र जगदीश, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 173 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 2221/14-1, दिनांक 16.05.2025 द्वारा बिलेन्द्र पुत्र जगदीश, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 23.05.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

बिलेन्द्र पुत्र जगदीश, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर बिलेन्द्र पुत्र जगदीश, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे न्यायालय की मौहूर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
(शामली)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमण वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अयोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति बिलेन्द्र पुत्र जगदीश, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तागत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
(शामली)



भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 26.03.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 17/2024-25 बनाम रामफल पुत्र रामा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि रामफल पुत्र रामा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 173 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 2220/14-1, दिनांक 16.05.2025 द्वारा रामफल पुत्र रामा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 23.05.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

रामफल पुत्र रामा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर रामफल पुत्र रामा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा ले अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमण वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति रामफल पुत्र रामा, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्रतिलिपि इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

Photograph of the situation on ground







मैं संदीप पुत्र भी बलीदारासिंह निवासी ग्राम वमैडी बुर्जुग थाना - जिला नारायण तेह केंगना
जिला शमली का मुक्त निवासी हूँ, मेरी जमीन वन विभाग के जंगल के पास मेरे पूर्वजों
ने लगभग 45-50 साल पहले जंगल के बगल में पड़ी भूमि पर खेती की गयी थी जिसका
हमें वन विभाग राजस्व विभाग की संपूर्ण पैमाइश में पता चला है, मैं अपनी गलती
स्वीकार करता हूँ। व पैमाइश में निकली भूमि को वन विभाग की सुपुर्दगी में दे दी
हूँ एवं भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा तथा वन विभाग का सहयोग करूँगा।



Signature

हस्ताक्षर / अंगुठा निशानी

9520970001

मैं कामिल पुत्र श्री छोटा निवासी दमोडी बुजुर्ग चाना जिल्ला में बैराना
जिला-शामली का मूल निवासी हूँ मेरी जमीन वन विभाग के जंगल के पास
मेरे पूर्वजों ने लगभग 45-50 साल पहले खेत के बगल में पड़ी भूमि पर
खेती की गयी थी जिसका हमें वन विभाग राजस्व विभाग की संयुक्त पैसास
में बतला चला है, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। व पैसास में निकली
भूमि को वन विभाग की सुपुर्दगी में दे दी है एवं भविष्य में कभी भी किसी
गलती नहीं करेंगे, तथा वन विभाग का सहयोग करेंगे।



हस्ताक्षर / अंगुठा मिसानी
कामिल

7618282447

श्री अकलजीवासिह पुत्र श्री हरदीपसिह निवासी ग्राम दगदी कुर्जोग जिला डिंडी
 तें। जिसका जिला शागली का भूख निवासी हूँ, जिसे जमीन वन विभाग के जंगल
 के पास मेरे पूर्वजों ने लगभग 45-50 साल पहले खेत के बाल में पड़ी भूमि
 पर खेती की गयी थी जिसका हमें वन विभाग ~~सहायक~~ राज्य विभाग
 की संयुक्त पैगण्ड में पता चला है। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ
 व पैगण्ड में निकली भूमि को वन विभाग की सुपुर्दगी में दे दी हूँ जब अतिथि
 में कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे तथा वन विभाग का सहयोग करेंगे।



Kawaljit Singh

हस्ताक्षर / भोगडा निवासी
 8053104 008

श्री राजजीत पुत्र श्री आत्मजीत सिंह पिताजी आप व मेरी बुद्धिमान भावा बिरजानी
 मैं देखा जिला-शामली का मुल मिलाती हु। मेरी जमीन वन विभाग के
 जंगल के पास मेरे पूर्वजों ने लगभग 45-50 साल पहले खेत के जंगल
 में पड़ी भूमि पर खेती की गयी थी जिसका हम वन विभाग राजस्व विभाग
 की सम्पुल्ल पैसाइस में पता चला है, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हु
 व पैसाइस में निक्ली भूमि को वन विभाग की लुपुदगी में दे दी है अब
 भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करेगे तथा वन विभाग का सहयोग करेगा।



Handwritten signature

हस्ताक्षर / अनुठा निम्नानी

05/02/2000

मैं देशपाल पत्त बगलाल हों। निवासी सुप्रीम कोर्ट का नाम आदेश मण्डि
 तैर आगरी होला आगरी का मूल निवासी हूँ, मेरी पत्नी वन
 विभाग के लंगर के पारा मेरे पुत्रों के अगल पड- ३० साल
 पहले तैर के अगल मे पडी भूमि पर तैरी की गयी थी
 तैसका हमे वन विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त पैमाइस
 मे पता चला है, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, व
 पैमाइस मे निकली भूमि को वन विभाग की सुप्रीम मे दे
 दी है। एवं भविष्य मे कभी ऐसी गलती नही करेगे तथा
 वन विभाग का सहयोग करेगे,



देशपाल

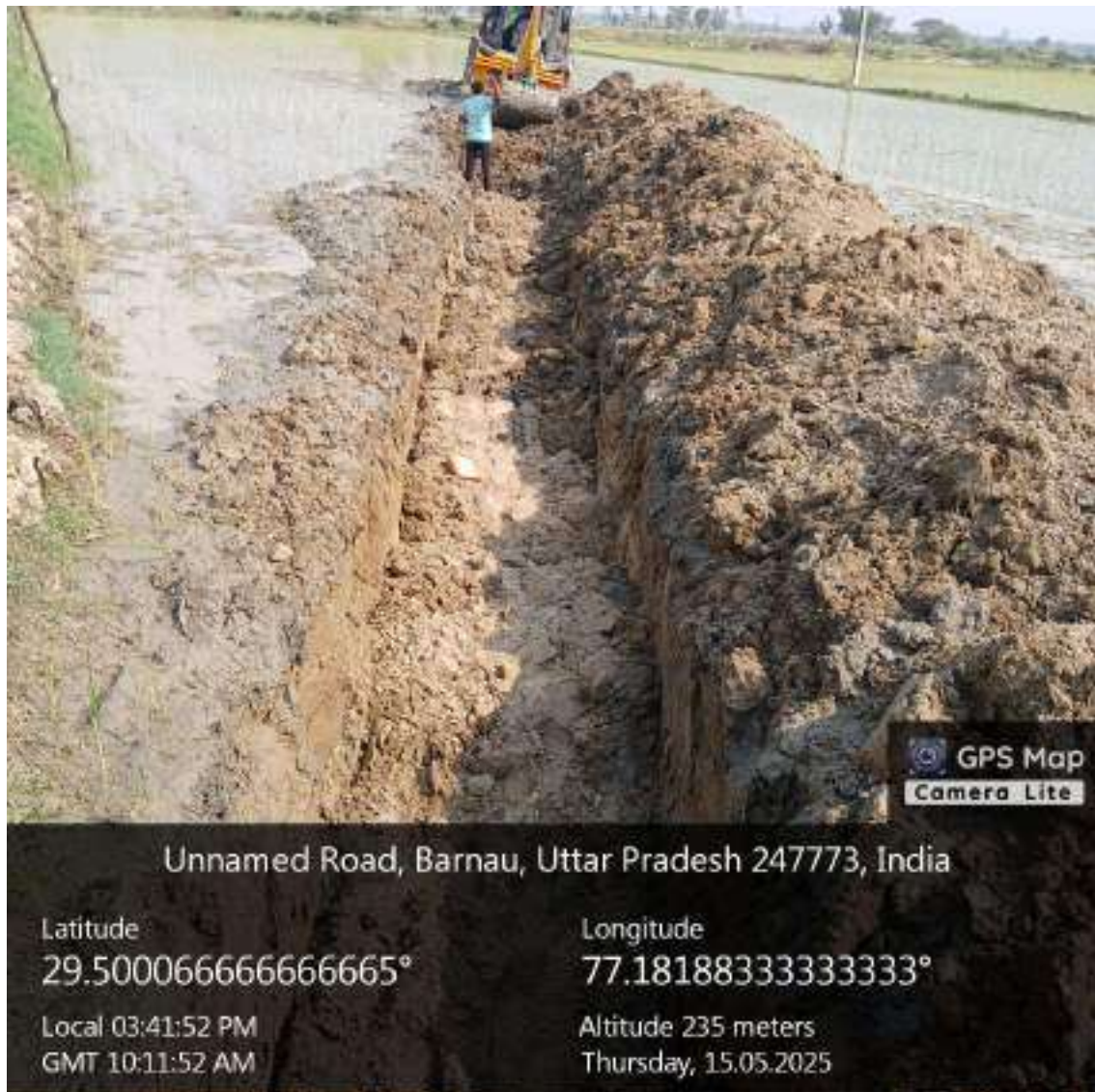
हस्ताक्षर / अंगुठा निसानी

देशपाल S. काजपाल

Encroachment Removal Barnavi



675



676



677

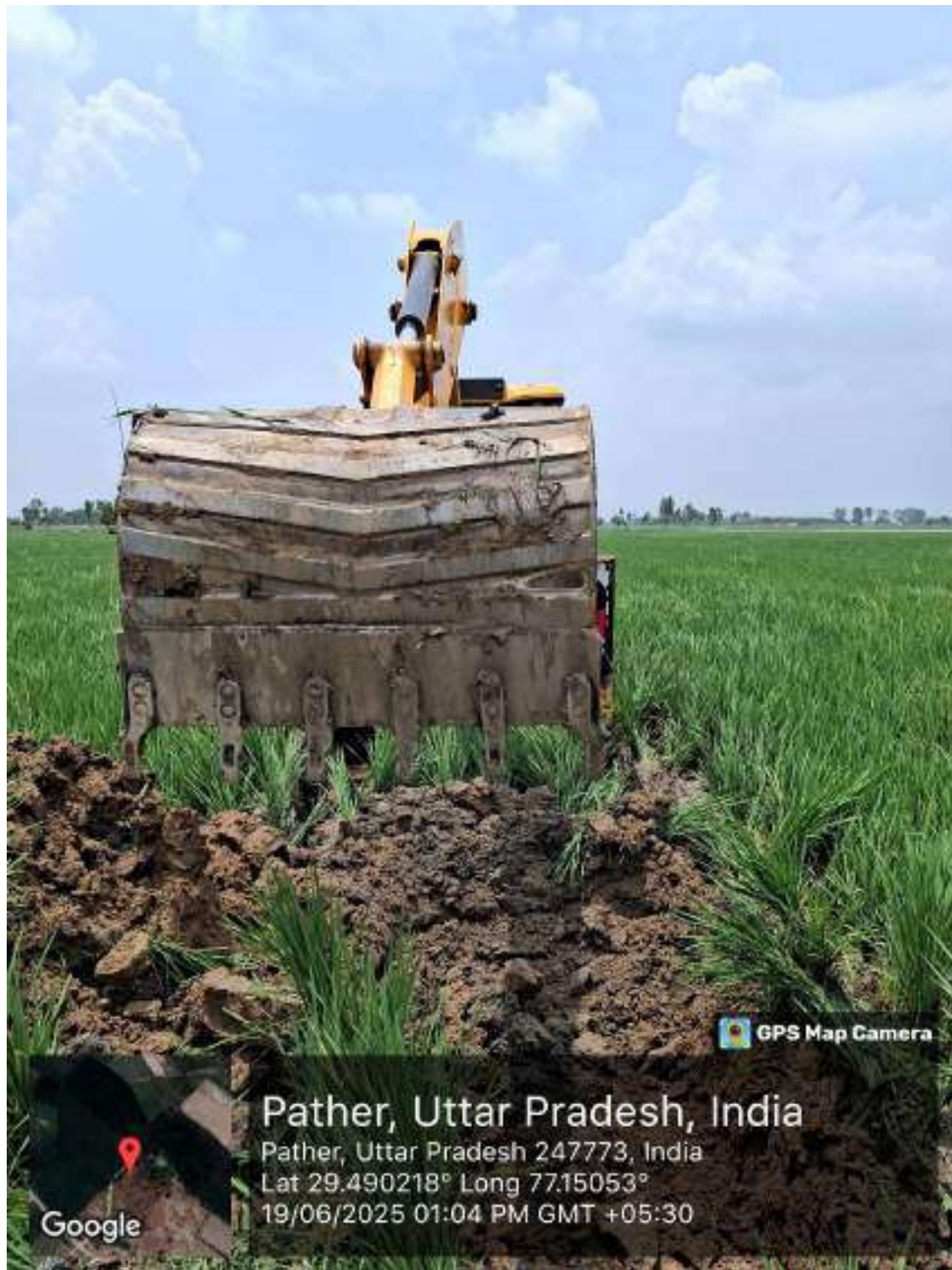
Akbarpur Sunehti



678



679



680



Unnamed Road, Barnau, Uttar Pradesh 247773, India

Latitude

29.49762333333333°

Longitude

77.18362333333333°

Local 03:05:09 PM

GMT 09:35:09 AM

Altitude 236 meters

Monday, 28.04.2025

681

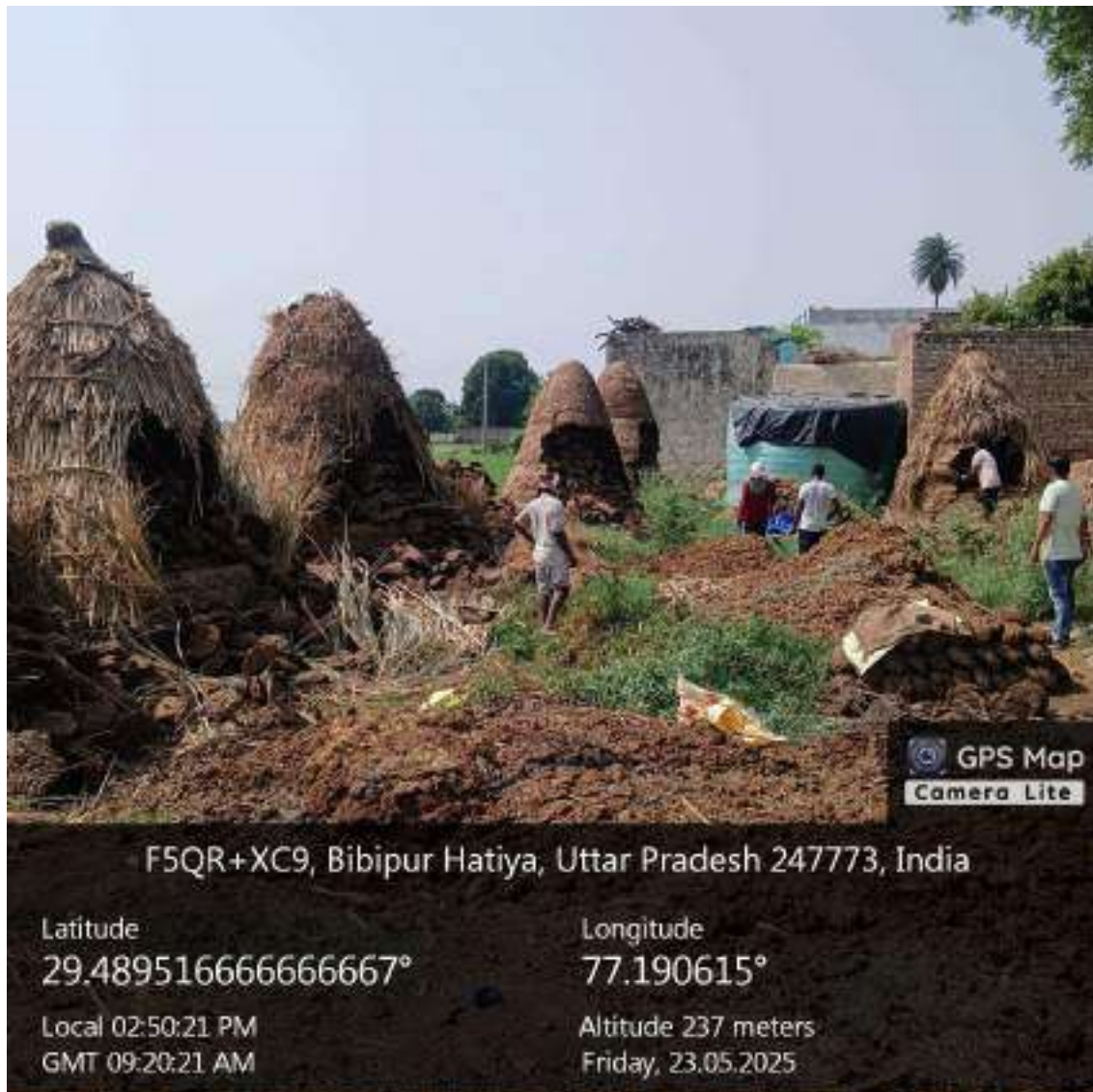
Bibipur Hatia





683





685



686



687



688





690

Dabhedi bujurg





692









696

Ratond





698

Bibipur Jalalabad





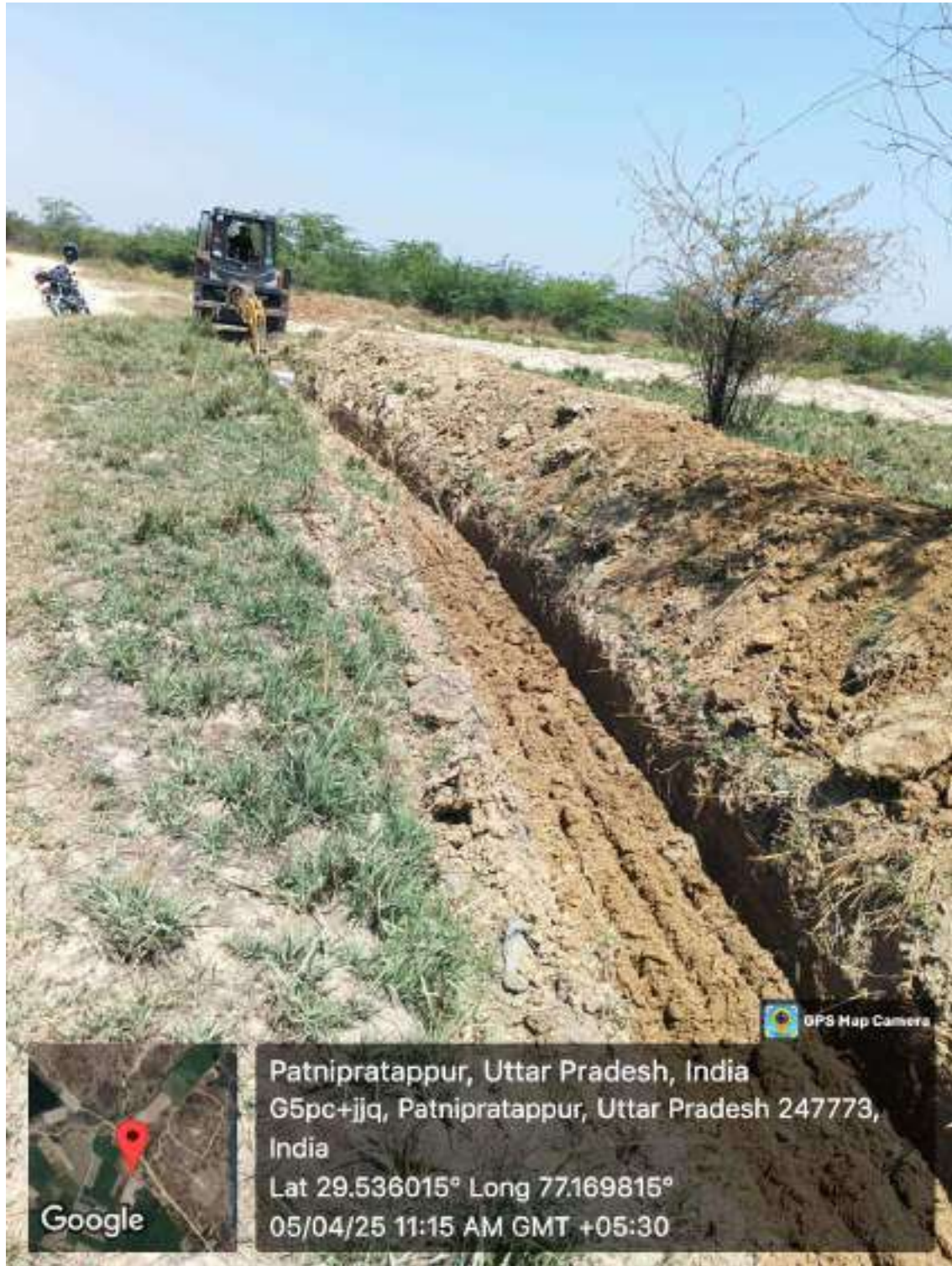
700



701



702



703



Patniratappur, Uttar Pradesh, India
G5pc+jjq, Patniratappur, Uttar Pradesh 247773,
India
Lat 29.538298° Long 77.171778°
05/04/25 02:33 PM GMT +05:30

704

Paoti khurd



706

The dots seen in the 2025 photograph represent the pits excavated for tree plantation

मई 2012 की स्थिति (स्थान दभेड़ी बुजुर्ग)

Annexure-10



अप्रैल 2025 की स्थिति की स्थिति (स्थान दभेड़ी बुजुर्ग) वृक्षारोपण हेतु गड्ढे खुदवाए गए हैं।



707

मई 2011 की स्थिति (स्थान दभेड़ी बुजुर्ग)



अप्रैल 2025 की स्थिति (स्थान दभेड़ी बुजुर्ग) वृक्षारोपण हेतु गड्ढे खुदवाए गए हैं।



708

मई 2012 की स्थिति (स्थान दभेड़ी बुजुर्ग)



अप्रैल 2025 की स्थिति (स्थान दभेड़ी बुजुर्ग) वृक्षारोपण हेतु गड्ढे खुदवाए गए है ।



मई 2012 की स्थिति (स्थान बीबीपुर जलालाबाद)



अप्रैल 2025 की स्थिति (स्थान बीबीपुर जलालाबाद) वृक्षारोपण हेतु गड्ढे खुदवाए गए है ।



710

मई 2011 की स्थिति (स्थान बीबीपुर जलालाबाद)



अप्रैल 2025 की स्थिति (स्थान बीबीपुर जलालाबाद) वृक्षारोपण हेतु गड्ढे खुदवाए गए है ।



711

मई 2011 की स्थिति (स्थान पावटी खुर्द)



अप्रैल 2025 की स्थिति (स्थान पावटी खुर्द) वृक्षारोपण हेतु गड्डे खुदवाए गए है ।



मई 2011 की स्थिति (स्थान पावटी खुर्द)



अप्रैल 2025 की स्थिति (स्थान पावटी खुर्द) वृक्षारोपण हेतु गड्डे खुदवाए गए है ।



713

मई 2011 की स्थिति (स्थान पावटी खुर्द)



अप्रैल 2025 की स्थिति (स्थान पावटी खुर्द) वृक्षारोपण हेतु गड्ढे खुदवाए गए हैं।



नवंबर 2016 की स्थिति (बीबीपुर जलालाबाद)



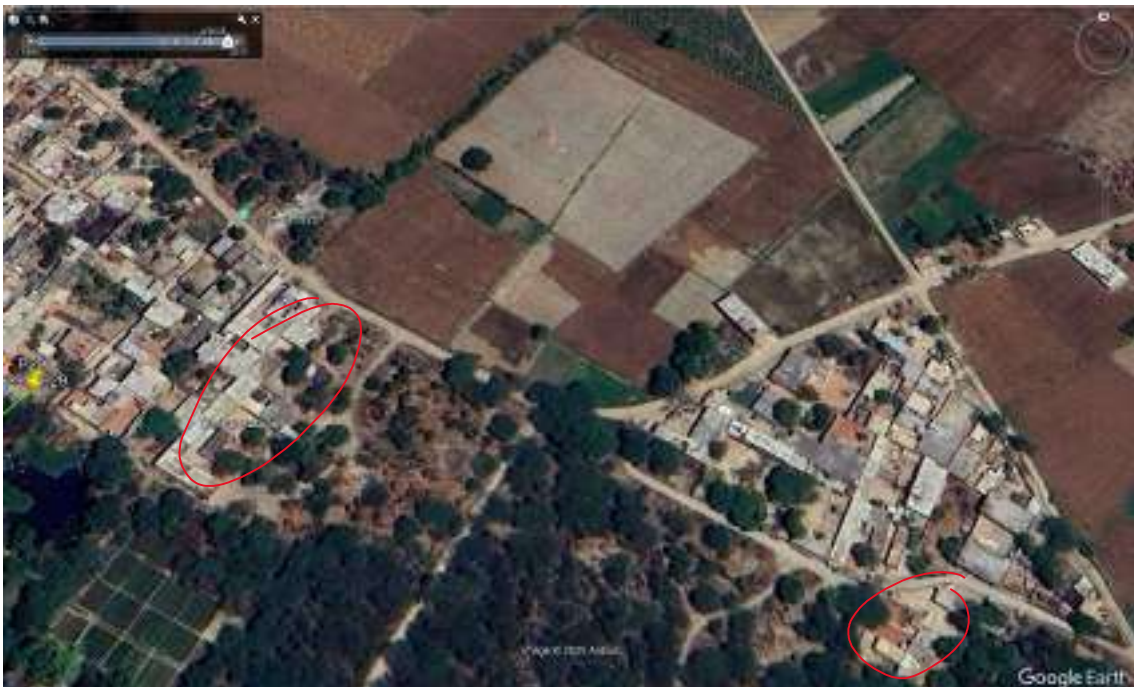
अप्रैल 2025 की स्थिति (बीबीपुर जलालाबाद) वृक्षारोपण हेतु गड्ढे खुदवाए गए है ।



मई 2012 की स्थिति (बीबीपुर जलालाबाद)



अप्रैल 2025 की स्थिति (बीबीपुर जलालाबाद) वृक्षारोपण हेतु गड्डे खुदवाए गए है।



716

बरनावी वन ब्लॉक 2012



बरनावी वन ब्लॉक 2025



717

बरनावी वन ब्लॉक 2012



बरनावी वन ब्लॉक 2025



718

बीबीपुर हटिया 2012



बीबीपुर हटिया 2025



719

बीबीपुर हटिया 2012



बीबीपुर हटिया 2025



720

बीबीपुर हटिया 2012



बीबीपुर हटिया 2025



टीम गठन -

माननीय न्यायालय NGT में अमित कुमार द्वारा दायर याचिका OA 915/2024 के अनुक्रम में तहसीलदार कैराना के पत्रांक 1272/RC दिनांक 20/09/24 द्वारा राजस्व विभाग एवं वन विभाग की संयुक्त टीम का गठन सर्वे/सीमांकन हेतु किया गया था।

गठित टीम का विवरण

1. श्री देवानंद राजस्व निरीक्षक
2. श्रीमती पूजा खैवाल लेखपाल
3. श्री अकरम लेखपाल
4. श्री राजीव वर्मा लेखपाल
5. श्री लवकेश लेखपाल
6. सर्वेयर वन विभाग
7. संबंधित सैक्शन प्रभारी
8. संबंधित बीट प्रभारी

सर्वेक्षण सीमा की टाइमलाइन -

माननीय न्यायालय NGT में अमित कुमार द्वारा दायर याचिका OA 915/2024 के अनुक्रम में तहसीलदार कैराना के पत्रांक (1272/RC दिनांक 20/09/24) से राजस्व विभाग एवं वन विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया गया था लेकिन पैमाइश कार्य समयबद्ध रूप से न हो पाने के कारण जिलाधिकारी शामली द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 2231/14-1 (NGT) शामली दिनांक 16/05/25 द्वारा टाइमलाइन जारी की गई जिसके अनुसार पैमाइश हेतु शेष 350 खसरो को 177 दिवस में पूर्ण किया जाएगा, और तहसीलदार कैराना द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 133/एस-टी दिनांक 17/05/25 से पुनः पैमाइश कार्यों हेतु टीम का गठन किया गया। (पत्र संलग्न)

गठित टीम

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	गठित टीम
1.	दभेड़ी बुजुर्ग	राजस्व निरीक्षक जमालपुर श्री अकरम लेखपाल
2.	बीबीपुर जलालाबाद	राजस्व निरीक्षक जमालपुर



		पूजा खेवाल
3.	पावटी खुर्द	राजस्व निरीक्षक जमालपुर लवकेश लेखपाल
4.	बरनाची	राजस्व निरीक्षक जमालपुर पंकज लेखपाल
5.	रतौंद	राजस्व निरीक्षक जमालपुर लवकेश लेखपाल
6.	बीबीपुर हटिया	राजस्व निरीक्षक जमालपुर पंकज लेखपाल
7.	अकबरपुर सुनेहटी	राजस्व निरीक्षक जमालपुर राजीव वर्मा लेखपाल
8.	समस्त ग्रामों हेतु	सर्वेयर वन विभाग संबंधित सैक्शन प्रभारी संबंधित बीट प्रभारी

अतिक्रमित क्षेत्र का विवरण / अवधि

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में श्री अमित कुमार द्वारा याचिका संख्या OA 915/2024 दायर की गई है, जिसमें शामिल जनपद के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामों — दभेड़ी बुजुर्ग, बीबीपुर जलालाबाद, पावटी खुर्द, रतौंद, बीबीपुर हटिया, बरनाची एवं अकबर सुनेहटी — में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत की गई है। उक्त शिकायत की पुष्टि के क्रम में गूगल अर्थ (Google Earth) की उपग्रह इमेजरी का विश्लेषण किया गया, जिससे यह तथ्य प्रकाश में आया कि अधिकांश स्थलों पर भूमि की वर्तमान स्थिति वर्ष 2012 से पूर्व से ही अपरिवर्तित बनी हुई है।

विधिक कार्यवाही की रूप रेखा -

संयुक्त पैमाइश की प्रक्रिया के अंतर्गत, राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वन भूमि की सीमाओं का स्थल निरीक्षण एवं सत्यापन किया जा रहा है। इस दौरान जिन क्षेत्रों में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाया जा रहा है, उन्हें चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अस्थायी एवं काबिज खेती वाले अतिक्रमण क्षेत्रों को तत्काल प्रभाव से कब्जा मुक्त कराते हुए वन विभाग के अभिरक्षण में ले लिया जा रहा है। इन स्थलों पर वन विभाग द्वारा सुरक्षा खाई या अन्य आवश्यक अवरोधात्मक संरचनाओं का निर्माण कर सीमांकन सुनिश्चित किया जा रहा है।



जहाँ पर

पक्के निर्माण

जैसे मकान, दुकान, ईट-बालू के ढांचे या अन्य स्थायी ढांचे पाए जा रहे हैं, वहाँ संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत एच-2 केस (H-2 Case) पंजीकृत किए जा रहे हैं। इन मामलों में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है, जिससे अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाई की जा सके एवं वन भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

इस समग्र प्रक्रिया का उद्देश्य वन क्षेत्र को अवैध कब्जों से मुक्त कराना, पर्यावरणीय पुनर्स्थापन को बढ़ावा देना तथा भविष्य में अतिक्रमण की पुनरावृत्ति को रोकना है।

अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही -

संयुक्त पैमाइश के दौरान राजस्व विभाग एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वन भूमि की सीमा का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में जिन स्थलों पर वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाया जा रहा है, उन्हें नियमानुसार कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के उपरांत संबंधित स्थल को वन विभाग के विधिवत अभिरक्षण में लेते हुए, उसकी सीमाओं को सुरक्षित करने हेतु परिधि पर सुरक्षा खाई (Protection Trench) का निर्माण किया जा रहा है।

इस सुरक्षा खाई का उद्देश्य भविष्य में पुनः अतिक्रमण की संभावना को रोकना एवं क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही, उक्त भूमि पर पर्यावरण पुनर्स्थापन एवं हरित आवरण की बहाली के उद्देश्य से वृक्षारोपण हेतु गड्ढों की खुदाई प्रारंभ कर दी गई है। पौधारोपण कार्यवाही में स्थानीय उपयुक्त प्रजातियों का चयन कर, पौधों का रोपण, सिंचाई, सुरक्षा एवं जीवितता सुनिश्चित करने की समुचित व्यवस्था की जा रही है।

इस प्रकार, वन विभाग द्वारा अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि का स्थायी संरक्षण एवं पुनरुद्धार सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है, जिससे वन क्षेत्र की जैव विविधता, पर्यावरणीय संतुलन एवं सतत प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर वृक्षारोपण कार्य -

उपलब्ध बजट के अनुसार, मानसून 2025 के दौरान चयनित स्थलों पर वृक्षारोपण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इन स्थलों पर वृक्षारोपण, पर्यावरणीय आवश्यकता एवं स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर किया गया है, तथा निर्धारित वित्तीय सीमाओं के अंतर्गत पौधारोपण, गड्ढा खुदाई, पौधा परिवहन, संरक्षण आदि गतिविधियाँ संपादित की जा रही हैं।



अन्य शेष स्थलों पर वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित किया गया है, जिनके लिए पृथक् रूप से बजट की मांग की जाएगी। जैसे ही इन स्थलों हेतु अपेक्षित बजट की स्वीकृति प्राप्त होगी, तदनुसार पौधारोपण कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकार वृक्षारोपण कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है।

अभिलेखिकरण -

मानसून 2025 के अंतर्गत कराए गए वृक्षारोपण कार्यों का विधिवत अभिलेखिकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस क्रम में प्रत्येक वृक्षारोपण स्थल की जीपीएस (GPS) युक्त फोटोग्राफ एवं संबंधित गिर्काई संकलित किए जा रहे हैं, जिससे कार्य की पारदर्शिता एवं प्रामाणिकता सुनिश्चित हो सके। यह अभिलेख न केवल भविष्य में सत्यापन हेतु उपयोगी होंगे, अपितु जीवितता प्रतिशत (Survival Percentage) के निरीक्षण के लिए भी एक सुसंगत आधार प्रदान करेंगे। प्रत्येक प्लांटेशन साइट पर किए गए पौधारोपण की मात्रा, प्रजाति, दिनांक, कार्यदायी संस्था एवं निरीक्षण की स्थिति का विवरण पृथक्-पृथक् रूप से संधारित किया जा रहा है, जिससे कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण सहजता से किया जा सके।



















कृषि विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार
पतनप्रतापपुर, उत्तर प्रदेश
पिन - 247773
संपर्क - 0522-247773
0522-247774

GPS Map Camera



Patniratapur, Uttar Pradesh, India
G5pc+jjq, Patniratapur, Uttar Pradesh 247773, India
Lat 29.536403° Long 77.169843°
16/07/2025 09:20 AM GMT +05:30

कार्यालय जिलाधिकारी, शामली।

पत्रांक:- 2231/14-1(NGT) शामली,

दिनांक:- 16-05-2025।

Annexure-13

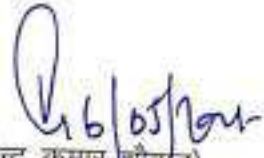
:-कार्यालय आदेश:-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित रिट संख्या 915/2024 बनाम अमित कुमार यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 08.11.2024 को ग्राम (दमेड़ी बुजुर्ग, बीबीपुर जलालाबाद, पावटी खुर्द, बरनावी, अकबरपुर सुनेहटी, रतौंद, बीबीपुर हटिया) में अतिक्रमित वन भूमि को कब्जा मुफ्त कराकर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु जिलाधिकारी शामली व प्रभागीय वनाधिकारी शामली को निर्देश मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये थे। जिसमें राजस्व विभाग एवं वन विभाग की टीम द्वारा संयुक्त सर्वे के उपरान्त 526 खसरों में से 154 खसरों का ही चिन्हांकन/सीमांकन हो सका था एवं वर्तमान में 12.05.2025 तक कुल 176 खसरों का चिन्हांकन/सीमांकन हो सका है। 27.02.2025 के आदेश के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ने आदेशित किया है कि **The affidavit also does not disclose any timeline for completing the survey and identification of the encroachment in the remaining khasra numbers.** वर्तमान में 526 खसरों में से 350 खसरे पैमाईश हेतु अवशेष है। जिसके लिए टाईमलाईन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है-

क्र० सं०	ग्राम का नाम	कुल पैमाईश हेतु खसरा सं०	पैमाईश किये गये खसरों की सं०	पैमाईश हेतु अवशेष खसरा	पैमाईश में लगने वाला समय
1	2	3	5	6	9
1	दमेड़ी बुजुर्ग	64	64	0	0
2	बीबीपुर जलालाबाद	70	55	15	10 दिवस
3	पावटी खुर्द	96	11	85	42 दिवस
4	बरनावी	180	24	156	78 दिवस
5	रतौंद	43	0	43	22 दिवस
6	बीबीपुर हटिया	73	22	51	25 दिवस
7	अकबरपुर सुनेहटी	-	-	-	-
	योग	526	176	350	177 दिवस

नोट- अकबरपुर सुनेहटी ग्राम हेतु याचिका कर्ता द्वारा कोई भी खसरा सं०/राजस्व अभिलेख संलग्नक नहीं किये गये है।

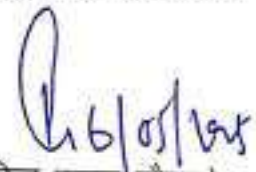
735


(अरविन्द कुमार चौहान)
जिलाधिकारी
शामली

पत्रांक 2231/14-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली को इस आशय से प्रेषित कि आप टाईमलाईन के अनुसार चिन्हांकन/सीमांकन कार्य कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि— उप जिलाधिकारी ऊन/कैराना को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से समन्वय स्थापित कर उक्त कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। ध्यान रहे प्रकरण मा० एन०जी०टी से आच्छादित है।


(अरविन्द कुमार चौहान)
जिलाधिकारी
शामली

कार्यालय तहसीलदार कैराना जनपद-शामली।

संख्या:- 133/एस0टी0

दिनांक:- 17.05.2025

आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में 'योजित रिट संख्या 915/2025 बनाम अमित कुमार यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में 526 खसरो में से अवशेष 350 खसरे का चिन्हांकन/सीमांकन कराने हेतु उप जिलाधिकारी के निर्धारित समय के अन्तर्गत कराने हेतु राजस्व विभाग व वन विभाग की संयुक्त निम्न प्रकार टीम गठित की जाती है।

क्र0सं0	ग्राम का नाम	गठित टीम
1	दभेडी बुजुर्ग	1. राजस्व निरीक्षक, जमालपुर 2. श्री अकरम, लेखपाल
2	बीबीपुर जलालाबाद	1. राजस्व निरीक्षक, जमालपुर 2. पूजा खैवाल, लेखपाल
3	पावटी खुर्द	1. राजस्व निरीक्षक, जमालपुर 2. लवकेश, लेखपाल
4	बरनावी	1. राजस्व निरीक्षक, जमालपुर 2. पंकज, लेखपाल
5	रटौंद	1. राजस्व निरीक्षक, जमालपुर 2. लवकेश, लेखपाल
6	बीबीपुर हटिया	1. राजस्व निरीक्षक, जमालपुर 2. पंकज, लेखपाल
7	अकबरपुर सुन्हेटी	1. राजस्व निरीक्षक, जमालपुर 2. राजीव वर्मा, लेखपाल

उक्त के सम्बंध में आपको निर्देशित किया जाता है, कि वन विभाग की टीम से समन्वय स्थापित कर यथासमय सीमांकन/चिन्हांकन कराना सुनिश्चित करें।


तहसीलदार
कैराना।

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय वनाधिकारी कैराना/ऊन को रेंज को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह वन विभाग के सर्वेयर एवं सम्बंधित फिल्ड स्टाफ के साथ मौके पर उपस्थित रहने हेतु।
2. उप जिलाधिकारी कैराना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


तहसीलदार
कैराना।